₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

जुलाई 2012



रमज़ान मुबारक

HUMAN WELFARE FOUNDATION

A national level NGO based in Delhi working for social development through different activities in the field of education, healthcare, poverty alleviation, employment, women empowerment, relief and rehabilitation.

Vacancies

ACCOUNTANT-2
M.Com /B.Com with minimum three year experience.

ACCOUNTS ASSISTANT-1
B.Com / graduation with experience in accounting

PROJECT CO-ORDINATOR-1
MSW/MA or relevant master degree with experience

PROJECT ASSISTANT-1
MSW/ BSW or relevant degree

STATE CO-ORDINATOR –2
MSW/MA or relevant master degree with experience

ADMIN ASSISTANT-1
Graduation + Communication and Secretarial skill

DIRECTOR-EDUCATION-1
PG + experience as principal, capable of planning and implementation of educational projects.

MANAGER-EDUCATION-1
PG + experience in managing educational projects

SCHOOL PRINCIPAL-3
PG + B.ED, experience in school administration

MANAGER-PROJECTS-1
Engineering and Management Degree

CONTENT WRITER-1
Graduation and writing skill

DRAFTSMAN CIVIL (AUTOCAD)-1
ITI / relevant certificate with experience in 3D

PROJECT DESIGNER- 1
Diploma / relevant certificate

COMMUNITY MOBILIZER- 1
Graduation

FIELD EXECUTIVE-1
Higher Secondary + Two wheeler licence

ATTENDER-1
Higher Secondary

Attractive Salary

Apply before 25th June 2012

VISION 2016

HUMAN WELFARE FOUNDATION
3rd Floor, 108 Pockets -1
Jasola Vihar , Near Living Style Mall, New Delhi -110025
Phone: 011 29945999, 011 40540505, www.vision2016.org.in

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 22 अंक 1 जुलाई 2012

रमज़ान वह महीना है जिसमें क़ुरआन उतारा गया जो इन्सानों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य और असत्य का अन्तर खोलकर रख देने वाली है । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-, दो वर्ष 300/-, पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

दर्द औरों का दिल में गर रखिए
बेग़रज़ हो के उम्र-भर रखिए

इसके दम से है आबरू का वजूद
अपने किरदार पर नज़र रखिए

हो ही जाएंगी मुश्किलें आसान
अक़्ल-सा एक राहबर रखिए

पांव ठहरें, ख़याल चलते रहें
एक ऐसा भी तो सफ़र रखिए

सब हवाई क़िले दिखाते हैं
कुछ किसी की न आस पर रखिए

वो न बन जाएं खुद खुदा ही कहीं
पासबां रखिए, मोतबर रखिए

हो इशारा कि बह सके न हवा
आंख में इतना तो असर रखिए

शरपसन्दी न शरपसन्द रहें
जा-ब-जा इस क़दर शरर रखिए

दोस्ती में है शर्त यह 'दरवेश'
ज़िक्र 'मैं-तू' का ताक़ पर रखिए ।

● **डॉ० 'दरवेश' भारती**

1414/14, गांधीनगर,

रोहतक-124001 (हरियाणा)

darvesh28@gmail.com



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–दरवेश भारती	3
कुरआन ज्योति		5
हदीस मंजरी		6
रमज़ान और चरित्र निर्माण (संपादकीय)		7
वामपंथी पक्ष (आपके पत्र)		9
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाएं	–अबूज़र कमालुद्दीन	15
हम तो नेता हैं (कविता)	–विष्णु सक्सेना	19
बेहतरीन धर्म इस्लाम (उद्गार)	–माला वर्मा	20
विरासत का क़ानून	–संपादन प्रभाग	21
रमज़ान एक प्रशिक्षण मास	–संपादन प्रभाग	26–27
रमज़ान मास की तीन बड़ी घटनाएं	–डॉ॰ मुहम्मद दाऊद	29
अश्लील कर्मों से बचने की इस्लामी शिक्षाएं	–मौलाना सैयद हामिद अली	31
झूठे मामले झूठे सबूत	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	33
भाभी (कहानी)	–इक़बाल अंसारी	35
रहिमन पानी राखिए...	–मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'	39
क्या हम एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र हैं ?	–ईश्वरचन्द्र भटनागर	41
दुर्व्यसनों पर विजय	–श्री कृष्ण गोयल	43
ज़रा सुन लीजिए अजन्मी बेटी की पुकार	–बाबूलाल नागा	45
भारत में वृद्धजनों की समस्याएं एवं समाधान	–वीणा	47
आक़िबत (लघुकथा)	–डॉ॰ स्वर्ण किरण	49
अवमूल्यन (लघुकथा)	–सीताराम गुप्ता	49
काव्य		50

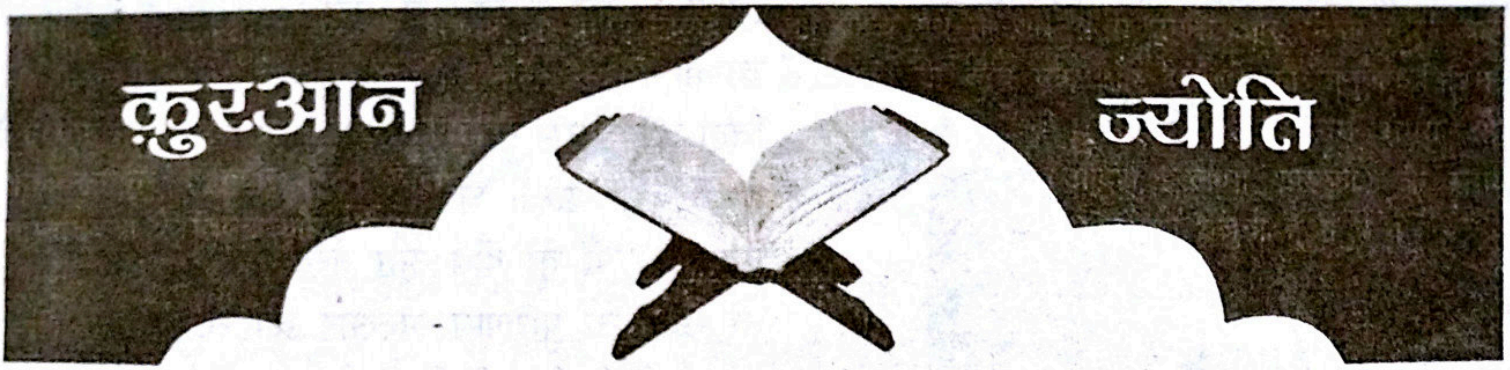

(64) ऐ नबी ! तुम्हारे लिए और तुम्हारी अनुयायी ईमान वालों के लिए तो बस अल्लाह काफ़ी है ।

(65) ऐ नबी ! ईमान वालों को लड़ाई पर उभारो, अगर तुममें से बीस आदमी धैर्यवान हों तो वे दो सौ पर विजयी होंगे और अगर सौ आदमी ऐसे हों तो सत्य के इन्कारियों में से हज़ार आदमियों पर विजयी होंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते ।[47] (66) अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुममें कमज़ोरी है, तो अगर तुममें से सौ आदमी धैर्यवान हों तो वे दो सौ पर और हज़ार आदमी ऐसे हों तो दो हज़ार पर अल्लाह के हुक्म से प्रभावी होंगे[48], और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो धैर्यवान हैं ।

(67) किसी नबी के लिए यह उचित नहीं है कि उसके पास क़ैदी हों जब तक कि वह धरती में दुश्मनों को अच्छी तरह न कुचल दे । तुम लोग दुनिया के लाभ चाहते हो, हालांकि अल्लाह के सामने आख़िरत है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है ।

–क़ुरआन, 8 : 64-67

47. आजकल की परिभाषा में जिस चीज़ को 'मनोबल' या 'नैतिक शक्ति' (Morals) कहते हैं, अल्लाह ने इसी को प्रज्ञा, विवेक और समझ-बूझ (Understanding) की संज्ञा दी है और यह शब्द इस अर्थ के लिए नयी परिभाषा से अधिक वैज्ञानिक है । जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सचेत हो और ठंडे मन से ख़ूब सोच-समझकर इसलिए लड़ रहा हो कि जिस चीज़ के लिए वह जान की बाज़ी लगाने आया है, वह उसके व्यक्तिगत जीवन से अधिक मूल्यवान है और उसके नष्ट हो जाने के बाद जीना मूल्यरहित है, वह अचेतावस्था से लड़ने वाले व्यक्ति से कई गुना अधिक शक्ति रखता है यद्यपि शारीरिक शक्ति में दोनों के बीच कोई अन्तर न हो । फिर जिस व्यक्ति को वास्तविकता का बोध प्राप्त हो, जो अपनी हस्ती और अल्लाह की हस्ती और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ और सांसारिक जीवन की हैसियत और मौत की वास्तविकता और मरने के बाद के जीवन की वास्तविकता को अच्छी तरह जानता हो और जिसे सत्य और असत्य के अन्तर और असत्य के प्रभावी होने के परिणामों का भी सही बोध हो, उसकी शक्ति को तो वे लोग भी नहीं पहुंच सकते जो राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद या वर्गीय विवाद का विचार लिए हुए मैदान में आएं । इसीलिए कहा गया है कि एक समझ-बूझ रखने वाले मोमिन (ईमान वाले) और एक काफ़िर (इन्कार करने वाले, विरोधी) के बीच वास्तविकता के विवेक और अविवेक की वजह से स्वभावत: एक और दस का अनुपात है । लेकिन यह अनुपात केवल समझ-बूझ से स्थापित नहीं होता, बल्कि इसके साथ धैर्य (सब्र) का गुण भी एक अनिवार्य शर्त है ।

48. इसका यह अर्थ नहीं है कि पहले एक और दस का अनुपात था, और अब चूंकि तुममें कमज़ोरी आ गयी है इसलिए एक और दो का अनुपात निश्चित कर दिया गया है, बल्कि इसका सही अर्थ यह है कि सैद्धांतिक दृष्टि से भी और आदर्श रूप में भी ईमान वालों और कुफ़्र करने वालों के बीच एक और दस ही का अनुपात है, लेकिन चूंकि अभी तुम लोगों का नैतिक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ है और अभी तक तुम्हारी चेतना और समझ-बूझ का माप प्रौढ़ता की सीमा को नहीं पहुंचा है, इसलिए इस समय यह अनुपात घटाकर तुमसे यह मांग की जाती है कि अपने से दो गुनी शक्ति से टकराने में तो तुम्हें कोई संकोच न होना चाहिए । ध्यान रहे कि यह कथन सन् 02 हिजरी का है जबकि मुसलमानों में बहुत-से लोग अभी ताज़ा-ताज़ा ही इस्लाम में दाख़िल हुए थे और उनका प्रशिक्षण प्रारंभिक स्थिति में था । बाद में जब नबी (सल्ल०) के मार्गदर्शन में ये लोग प्रौढ़ता को पहुंच गये तो वास्तव में उनके और इन्कार करने वाले (शत्रुओं) के बीच एक और दस ही का अनुपात निश्चित हो गया, चुनांचे नबी (सल्ल०) के अन्तिम समय और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (आदर्श इस्लामी शासकों) के समय की लड़ाइयों में बार-बार इसका तजुर्बा हुआ है ।

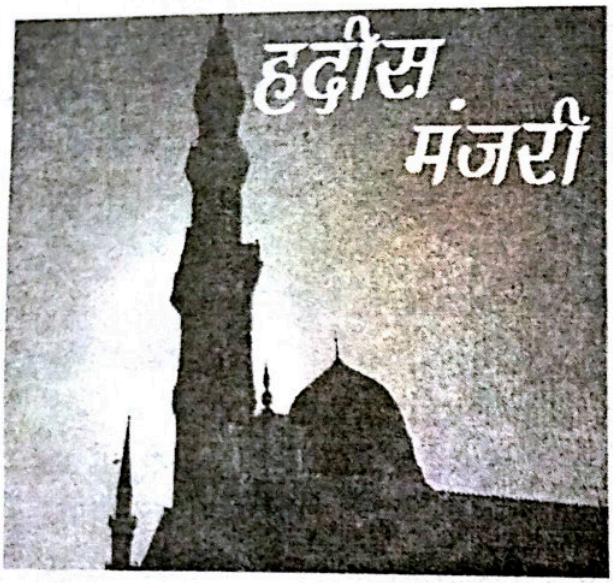

साथी को विदा करना और उससे अलग होते समय नसीहत करना

● हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने हमारे बीच खड़े होकर भाषण दिया । आपने अल्लाह की प्रशंसा और तारीफ़ की, और नसीहत की, और प्रबोधित किया । फिर आपने कहा : "तदनंत : ऐ लोगो, जान लो निस्सन्देह मैं एक मनुष्य ही हूं । क़रीब है कि मेरे रब का दूत (मौत का फ़रिश्ता) मेरे पास आये और मैं अल्लाह के हुक्म को स्वीकार कर लूं । मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीज़ें छोड़ रहा हूं : उनमें पहली तो अल्लाह की किताब है, जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश है । अत: अल्लाह की किताब को पकड़ो और उसे मज़बूती से थामे रहो ।" फिर आपने अल्लाह की किताब के सिलसिले में उभारा और प्रेरित किया और कहा : "और (दूसरी चीज़) मेरे घर के लोग हैं । मैं अपने घर वालों के विषय में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं ।"

–मुस्लिम

● हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि॰) उस व्यक्ति से कहते जो यात्रा करना चाहता : मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें उस तरह विदा करूं जिस तरह अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) हमें विदा करते थे । आप ऐसे अवसर पर कहते : "मैं तेरे दीन और तेरी अमानत को और तेरे कर्मों के परिणाम अल्लाह को सौंपता हूं ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन सहीह' है ।

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अल-ख़तमी अस-सहाबी (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) सेना को विदा करते, तो कहते : मैं तुम्हारी दीन और तुम्हारी अमानत को और तुम्हारे कर्मों के परिणाम अल्लाह को सौंपता हूं ।"

–अबू दाऊद

यह हदीस सहीह है । इसे अबू दाऊद आदि ने 'सहीह' सनदों के साथ रिवायत किया है ।

● हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल॰) के पास आया, और उसने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मैं यात्रा करना चाहता हूं । आप मुझे पाथेय (के रूप में उपदेश) दें । आपने कहा : "अल्लाह तक़वा (धर्म परायणता) को तुम्हारा पाथेय बनाये ।" उसने कहा : मुझे कुछ और प्रदान करें । आपने कहा : "और अल्लाह तेरे गुनाह को क्षमा कर दे ।" उसने कहा : मुझे कुछ और प्रदान करें । आपने कहा : "तुम जहां कहीं भी हो, वह भलाई को तुम्हारे लिए आसान कर दे ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.quranhindi.com
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

रमज़ान और चरित्र निर्माण

इस्लाम सहज-स्वाभाविक धर्म है । इसकी सभी शिक्षाएं और व्यवस्थाएं मानव-स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल और अपरिहार्य हैं । ये मानव के भीतर उच्च कोटि के मानवीय एवं नैतिक मूल्य, गुण और विशेषताएं पैदा करती हैं । लेकिन इन अच्छाइयों को तभी सुदृढ़ और फलीभूत बनाया जाता है, जब वास्तविक और आध्यात्मिक पक्ष पर सर्वाधिक ज़ोर दिया जाए, क्योंकि यह सद्‌गुणों और सत्कर्मों का आधार है । अतः इस्लाम में इस पक्ष को महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है । वह मानवों को अपने पैदा करने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने, उसका बन्दा व भक्त होने और उसका डर रखने एवं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने पर उभारता है । इस्लाम को यह भी अपेक्षित है कि मनुष्य पारलौकिक जीवन (आख़िरत) पर यक़ीन रखे और उसे यह एहसास एवं विश्वास भी हो कि वह जो कुछ कर्म कर रहा है, उसे अल्लाह देख रहा है तथा अच्छे-बुरे कर्मों का उसे हिसाब देना होगा । इनमें मनुष्य को अनेक फ़ायदे होते हैं–एक तो वह अमानवीय कृत्यों से बचा रहता है, दूसरे उसके भीतर उच्च कोटि के मानवीय और सामाजिक मूल्य पैदा होते हैं । इनके अलावा उसकी स्वाभाविक उन्नति और विकास के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं और वह पारलौकिक जीवन की सफलता का सामान भी जुटा ले जाता है ।

इस्लाम को यह भी अपेक्षित है कि सारे मनुष्यों के ईशपरायणता विकसित होने के साथ ही उनमें तमाम सद्‌गुणों और मूल्यों का विकास हो एवं मनुष्य की प्राकृतिक व स्वाभाविक क्षमता तथा शक्ति को उभारा जाए । इस्लाम में रमज़ान मास को विशिष्टता प्राप्त है । यह मास इसी महीने के अंतिम दिनों में शुरू होने वाला है । इस पूरे मास रोज़े (व्रत) रखे जाते हैं । यह एक पवित्रतम इबादत है और आध्यात्मिक एवं नैतिक प्रशिक्षण का सर्वोत्तम उपाय व प्रावधान है । इससे रोज़ेदार में ईशपरायणता पैदा होती है, अल्लाह का डर पैदा होता है, मन को शुद्धता और हृदय को विशालता प्राप्त होती है, सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है, संयम पैदा होता है और मनोकामनाओं पर क़ाबू पाने की शक्ति पैदा होती है, शारीरिक फ़ायदे भी होते हैं । इनके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने और पारलौकिक जीवन संवारने का ज़रिया भी है । पवित्र क़ुरआन में रमज़ान का महत्व इस प्रकार बयान किया गया है–"रमज़ान वह महीना है, जिसमें क़ुरआन उतारा गया, जो इन्सानों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है, और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है, जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य एवं असत्य का अन्तर खोलकर रख देने वाली है । अतः अब से जो व्यक्ति इस महीने को पाये, उसके लिए अनिवार्य है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे (2:185)। एक हदीस में यह बात आती है कि "गौरव का स्वामी प्रतापवान अल्लाह कहता है : आदम के बेटे (मनुष्य) का प्रत्येक कर्म उसके लिए है सिवाय रोज़े के, क्योंकि वह मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, और रोज़ा ढाल है । अतः जब तुम में से किसी का रोज़े का दिन हो, तो न तो अश्लील बात ज़ुबान पर लाये और न शोर मचाये और न दंगा और फ़साद करे और यदि कोई उसे अपशब्द कहे या उससे लड़े तो कह दे कि मैं रोज़े से हूं" (बुख़ारी, मुस्लिम)। एक रिवायत में है : "आदम के बेटे के हर कर्म

का सवाब दस गुना से सात सौ गुना तक बढ़ाया जाता है । अल्लाह तआला कहता है–किंतु रोज़े की बात और है, क्योंकि वह मेरे ही लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा । वह अपनी कामेच्छा और अपने खाने को मेरे लिए छोड़ देता है । रोज़ेदार के लिए दो ख़ुशियां हैं : एक ख़ुशी तो रोज़ा खोलने के समय होती है और एक अपने रब से मुलाक़ात करते समय होगी । और उसके मुंह की बू अल्लाह की निगाह में मुश्क की बू से ज़्यादा बेहतर है'' (मुस्लिम)।

रोज़ा इस तरह से विनय और नम्रता का प्रदर्शन भी है । इसीलिए गुनाहों के क्षमा कराने में रोज़ा सहायक सिद्ध होता है । रोज़ा न केवल यह कि गुनाहों के प्रभाव को दिल से मिटाता है, बल्कि यह दुआओं व प्रार्थनाओं की स्वीकृति एवं अल्लाह की दयालुता को अपनी ओर आकृष्ट करने में भी सहायक होता है । रमज़ान का मास बरकतों और रहमतों का मास है । यह मास अल्लाह की बन्दगी, उसके हक़ों की अदायगी और आत्मसुधार एवं प्रशिक्षण का मास है ही, बन्दों के हक़ों की अदायगी–निर्धनों, मुहताजों और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करने का भी मास है । एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की दानशीलता रमज़ान में और भी बढ़ जाती थी । वास्तव में यह आध्यात्मिक एवं नैतिक प्रशिक्षण का मास है । इसमें रोज़ेदार जिन गुनाहों और बुराइयों से बचे रहते हैं, उनसे आगामी 11 मासों तक भी बचे रहना चाहिए । इसी तरह इस मास में जो आध्यात्मिक और नैतिक गुण परवान चढ़ते हैं, उनकी मात्रा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तभी रमज़ान के रोज़ों का पूरा फ़ायदा मिल सकेगा । समस्त मानवजाति को इस ''प्रशिक्षण मास'' का फ़ायदा उठाना चाहिए ।



वामपंथी पक्ष

'कान्ति' का मार्च अंक पढ़ा । 'अभिव्यक्ति का नहीं समदृष्टि का सवाल' शीर्षक संपादकीय में वामपंथियों पर अनावश्यक प्रहार किया गया है । लेख में कहा गया है–"वे तथाकथित जनवादी जो मार्क्स, लेनिन के साथ हज़रत ईसा (अलैहि०) की तस्वीर टांगने के भी गुनाहगार हैं...ख़ामोश रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं...सलमान रुश्दी के बड़े समर्थक के रूप में सामने हैं...समर्थन का ऐलान करते हैं । इस फ़रमान के आधार पर वामपंथियों पर यह प्रहार करना पुनर्विचार का आग्रह करता है । आपने कहा चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं अब चुप रहने पर उन पर किया गया प्रहार क्या ज़्यादती नहीं है । वामपंथी कट्टर धर्मनिरपेक्ष होते हैं तथा किसी धर्म के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह उनके मज़हब का निजी मामला होता है । इसका समाधान उस मज़हब के विशेषज्ञ ही किया करते हैं । सलमान रुश्दी का मामला उनके मज़हब का निजी मामला है । अत: इसका निदान उस मज़हब के विशेषज्ञ समिति ही कर सकती है ।

जिस जगह को नमाज़ हेतु मुक़र्रर कर दी गयी है वहां सिर्फ़ नमाज़ ही होगी, वहां पूजा-पाठ नहीं होगा । जो स्थान पूजा-पाठ के लिए तय है वहां पूजा-पाठ के अलावा नमाज़ नहीं होगी, जो इस नियम के ख़िलाफ़ जाता है वह साम्प्रदायिक है ।

हज़रत ईसा (अलैहि०) की तस्वीर के साथ-साथ मार्क्स लेनिन की तस्वीर को टांगने का विरोध करने वाला अल्लाह के क़द को कम करता है । अल्लाह ने ही संसार की रचना की है । सभी जीवधारियों की रचना अल्लाह की ही है । हज़रत ईसा (अलैहि०) खुदा की रचना हैं तो मार्क्स लेनिन किसकी रचना है, इसे प्रकाशित कर मानवता के भ्रम को दूर कर दिया जाए । क्या अल्लाह ने मार्क्स लेनिन को छांट कर रचना की है । यदि मार्क्स लेनिन की तस्वीर के साथ हज़रत ईसा (अलैहि०) को कोई आघात पहुंचता हो तो उसे स्पष्ट करके लिखा जाए ताकि वामपंथी इनकी तस्वीर एक साथ न लगाएं ।

सभी धर्मों का सम्मान करना वामपंथी मज़हब है । मानव मानव के बीच नफ़रत फैलाना ग़ैर-वामपंथी, ग़ैर-जनवादी एवं अधिनायकवादियों का काम है । वेद और कुरआन पाक वामपंथियों के लिए एक ही है । वामपंथी दोनों को एक ही मानते हैं । आप क्या मानते हैं यह तो आप ही जानते हैं ।

एक महीने के 100 नवजात शिशुओं को एक क़तार में सुलाकर किसी पंडा और किसी इमाम को बुलाकर कहा जाए कि इसमें 50 नवजात हिन्दू माता-पिता के हैं और 50 मुस्लिम मां-बाप के हैं, आप छांटकर बता दें कौन हिन्दू और कौन मुसलमान हैं । खुदा ने न हिन्दू बनाया न मुसलमान बनाया उसने तो इन्सान बनाया । इन्सान बने रहने में वामपंथियों को आनन्द आता है । आपको कैसा लगता है ?

दुनिया में राजसत्ता के लिए चलाये जाने वाले आतंकवाद की जड़ में राजसत्ता एवं पूंजी अस्ली कारक है । पूंजीवाद हर बुराइयों की जड़ है । इस समय वैश्विक स्तर पर संवेदनाओं का ह्रास हुआ है । इस पूंजीवादी व्यवस्था ने एक और तंत्र विकसित किया है वह है कंकाल तंत्र । इस कंकाल तंत्र के ज़रिये पूंजी तंत्र ने आदमी को उस किनारे तक ठेल कर ले गया है जहां वह मरे तो उसके कंकाल का भी सौदा किया जा सके । अत: बुराई का कारण धर्म, मज़हब और धर्म गंथ नहीं है, इसकी जड़ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एवं पूंजी है । आतंकवादी कार्रवाई में बच्चों के कंकाल का सौदा करना भी जायज़ ही माना गया है । राजसत्ता और प्रभुत्व जो न करा दे ।

राम सुजान गिरि
भाकपा ज़िला परिषद
सारण (बिहार)

जवाब : स्नेह-पत्र हेतु धन्यवाद । किसको नहीं पता कि वामपंथी साम्प्रदायिकों की भांति सलमान रुश्दी जैसी मानसिकता का जयपुर में पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ पोषण कर रहे थे । आप कहते हैं कि वामपंथी धर्मनिरपेक्ष होते हैं, फिर क्या वे जयपुर में जन-भावनाओं विशेषकर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे थे ?

प्रश्न हज़रत ईसा (अलैहि०) की तस्वीर को लगाने का मामला ही नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है, जो थोपने

की कोशिश की जाती है । आस्तिक और नास्तिक को एक पंक्ति में खड़ा करना अनुचित और अबौद्धिक है और सर्वाधिक निन्दनीय वह उद्देश्य व मंशा है, जो इन सब कर्मों के पीछे सक्रिय रहता है ।

ईश्वर की रचना की बात आपने की है, जो अच्छी लगी, किन्तु ईश्वर ने जीवन जीने का तरीक़ा भी बताया है, जिसका आपको इन्कार नहीं करना चाहिए ।

● संपादक

ख़ालिस दीन अल्लाह का हक़ है

तौहीद अर्थात एकेश्वरवाद अर्थात एक अल्लाह की बन्दगी करना और किसी को उसके समकक्ष न ठहराना ।

न अल्लाह किसी की संतान है, न अल्लाह की कोई संतान है, वह पाक है उस शिर्क से जो कुछ लोग करते हैं । अर्थात उसका साझीदार ठहराते हैं ।

शासन में कोई उसका साझीदार नहीं है । जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे संरक्षक बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है, जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर मकड़ी का घर ही होता है ।

कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका समकक्ष और प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं और उनके प्रति ऐसे आसक्त होते हैं, जैसी अल्लाह के साथ आसक्ति होनी चाहिए । हालांकि ईमान रखने वाले लोगों को सबसे बढ़कर अल्लाह प्रिय होता है ।

अल्लाह जिसकी चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है नपी-तुली रोज़ी देता है ।

अल्लाह ही वह जीवंत शाश्वत सत्ता है जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है । उस पर थकान तारी नहीं होती है, वह न सोता है और न उसे ऊंघ लगती है ।

अत: लोगों को चाहिए कि अल्लाह पर ईमान लाएं और उसी से मदद मांगें । लोगों को भलाइयों की ओर बढ़ने में अग्रसरता दिखानी चाहिए, वे जहां भी होंगे, अल्लाह उन्हें पा लेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है । धरती और आकाश की कोई चीज़ उससे छिपी नहीं है । वह तो लोगों के साथ उस समय भी होता है, जब वे रातों को उसकी इच्छा के विरुद्ध मशविरे करते हैं ।

अल्लाह ही के पास ग़ैब की कुंजियां हैं, जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता । जल और थल में जो कुछ है सबसे वह परिचित है । पेड़ से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे ज्ञान न हो । ज़मीन के अंधकारमय परदों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वह परिचित न हो ।

क्योंकि अल्लाह ही ने इन्सान को पैदा किया है, अत: वह इन्सान के दिल में उभरने वाले वसवसे तक को जानता है, वह इन्सान की गर्दन की रग से भी ज़्यादा इन्सान के नज़दीक है । कभी ऐसा नहीं होता कि तीन आदमियों में कोई गुप्त बातचीत हो और उनके बीच चौथा अल्लाह न हो या पांच आदमियों में गुप्त बातचीत हो और उनमें छठा अल्लाह न हो ।

हमें अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को नहीं पुकारना चाहिए जो हमें न फ़ायदा पहुंचा सकती है, न नुक़सान । अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है । हर चीज़ विनष्ट होने वाली है सिवाय उसके स्वरूप के । शासन उसी का है और हम सब उसी की ओर पलटाये जाने वाले हैं । अत: ख़ालिस दीन अल्लाह का हक़ है ।

रात और दिन तथा सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से हैं । अत: सूरज और चांद को सजदा न करके उन्हें बनाने वाले अल्लाह को सजदा करना चाहिए ।

लोगों को एक पूज्य-प्रभु के सिवा किसी की बन्दगी करने का आदेश नहीं दिया गया है । अल्लाह वह है जिसके सिवा कोई बन्दगी का अधिकारी नहीं है ।

अबरार अहमद (लाखेरी वाले)
म०न०-554, गली न०-03, जे०पी० कॉलोनी,
रंगपुर रोड, ज़िला-कोटा, राजस्थान-324002

प्रभावित किया

'कान्ति' का मई 2012 का अंक प्राप्त हुआ । इस अंक का मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ अध्ययन किया । इस अंक में समस्त आलेख, कहानी तथा पद्य आदि अच्छे लगे । इस अंक में एक ज्वलंत, सामयिक 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध' एक गंभीर सामाजिक समस्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए रचित 'कल्याण कुमारी ने वर्तमान सामाजिक कुरीतियों पर पूर्णतया कटाक्ष किया । इस उपरोक्त आलेख ने मुझे बड़ा ही प्रभावित किया ।

65 वर्ष से अधिक स्वतंत्र हुए हिन्दुस्तान में प्रत्येक समाज में सामाजिक कुरीतियों का इतना विकराल रूप छा गया है जिसका जितना वर्णन करें कम है । दहेज प्रथा, तलाक़ प्रथा, परिवार का विघटन, भ्रूण हत्या, शारीरिक शोषण के अंतर्गत बलात्कार, अपहरण तथा हत्या आदि का

स्वतंत्र भारत में विकराल रूप छाया हुआ है तथा इनकी प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी होती जा रही है । रचयिता ने इस उपरोक्त आलेख में आंकड़े देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि वर्तमान में नारी शोषण कितना बढ़ गया है इसका कोई पार नहीं है ।

मैं रचयिता के प्रासंगिक कुरीतियों का पूर्णतया समर्थक हूं । टी०वी० संस्कृति व मोबाइल संस्कृति का इतना दुरुपयोग हो रहा है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता । अभी भी समय है जन चेतना आदर्श शिक्षाओं को लाना अतिआवश्यक है । प्रत्येक समाज का पूर्ण दायित्व बनता है कि गंभीरता से सोचें तथा पूर्ण ईमानदारी से इन कुरीतियों को दूर करने का पूर्ण प्रयास करें ।

रामस्वरूप झंवर

शास्त्रीनगर विस्तार, भीलेवाड़ा (राज०)

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा क़ानून और मुस्लिम बच्चे

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा क़ानून से ग़ैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों सहित मदरसों को छूट देने से संबंधित फ़ैसले का जहां राजनीतिक स्तर पर लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं इसकी व्यावहारिक उपयोगिता को लेकर अनेक सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं । यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा क़ानून की समस्त धाराओं तथा विधिक प्रावधानों से बाहर नहीं रखा है, बल्कि उन्हें सिर्फ़ 25 प्रतिशत निर्धन तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों के दाख़िले से छूट और रियायत दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला उस याचिका के संदर्भ में आया है जिसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में ग़रीब बच्चों के दाख़िले को चुनौती दी गयी थी ।

दरअस्ल अनेक विशेषताओं के बावजूद इस नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा क़ानून की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है तथा जिस प्रकार उसे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है उसको देखते हुए अनेक प्रबुद्धजन की यह राय है कि इस क़ानून के चलते आगे चलकर मुस्लिम बच्चे शिक्षा से और भी वंचित हो जाएंगे तथा त्रालीमो-तर्बियत के मामले में उनके सामने अनेक कठिनाइयां और समस्याएं उत्पन्न होंगी ।

इस क़ानून के अनुसार सरकार ने निजी स्तर के विद्यालयों में 25 फ़ीसदी ग़रीब तथा पिछड़े वर्ग के दाख़िले की विधिक व्यवस्था की है तथा कहा गया है कि उनकी फ़ीस सरकार वहन करेगी । लेकिन स्कूलों में छात्रों की केवल ट्यूशन फ़ीस ही नहीं लगती बल्कि बिल्डिंग फ़ीस, गेम फ़ीस, पुस्तकालय शुल्क, परीक्षा शुल्क, वाहन शुल्क, वार्षिक पत्रिका शुल्क और प्रयोगशाला शुल्क भी लगता है । विद्यार्थियों से वर्ष में एक बार टूर के नाम पर भी धनराशि ली जाती है ।

जुलाई मास में नवशैक्षणिक सत्रारंभ होने पर अनेक विद्यालयों में विद्यार्थियों से पाठ्य-पुस्तक, स्टेशनरी तथा यूनीफार्म के नाम पर रुपया लिया जाता है जिनसे विद्यालय प्रबंधन को बतौर कमीशन भारी मुनाफ़ा प्राप्त होता है । क्या सरकारी तौर पर शिक्षण शुल्क से मुक्ति और छूट की सुविधा के बावजूद ग़रीब छात्र के संरक्षकों तथा अभिभावकों को अन्य शुल्क नहीं जमा करने होंगे ? यदि सरकार शिक्षण शुल्क के साथ अन्य शुल्कों को वहन नहीं करती है तो यह क्या ग़रीब बच्चों के साथ नाइन्साफ़ी और मज़ाक़ नहीं होगा ?

आज सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के चलते शिक्षकों तथा छात्रों का आनुपातिक संबंध बिगड़ गया है जिसका शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । सरकारी स्कूलों की विफलता के चलते सारा ज़ोर निजी शिक्षण संस्थानों पर पड़ेगा और फिर एक ही प्रकार के स्कूल खुलेंगे और चलेंगे जो तालीम के नाम पर मनमानी फ़ीस वसूली से बाज़ नहीं आएंगे । दूसरी तरफ़ जब छात्र पर्याप्त संख्या में सरकारी विद्यालयों में नहीं प्रवेश लेंगे तो उनका पंजीकरण कम हो जाएगा तथा सरकार को इस आधार पर इन स्कूलों को बन्द करने का बहाना मिल जाएगा । इस प्रकार सरकार ख़ुद अपने विद्यालयों को बन्द करके प्राइवेट शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करेगी जैसा कि दिल्ली में नगर निगम ने अपने अनेक विद्यालयों का पंजीकरण विद्यार्थियों का नामांकन न होने अथवा कम होने के कारण समाप्त कर दिया ।

इस परिस्थिति में उक्त क़ानून जिस मक़सद को सम्मुखस्थ कर निर्मित किया गया है, उसकी पूर्ति होती नहीं दिखायी पड़ती । यह समाज के कमज़ोर वर्ग विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकता है । इसका अंदाज़ा लोक जन शक्ति पार्टी के उस

रहस्योद्घाटन से भी होता है जिसमें एक सर्वेक्षण के आधार पर बताया गया है कि दिल्ली के 200 निजी स्कूलों में इधर जो दाख़िले हुए हैं, उनमें एक भी मुस्लिम छात्र नहीं है । इस स्थिति में इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन समस्याओं के चलते संसाधनों के अभाव में मुस्लिम बच्चों की एक बड़ी संख्या स्कूल छोड़कर मदरसों का रुख़ करे ।

विद्या प्रकाश
अचला घाट मार्ग, सिपाह,
जौनपुर-222001 (उ०प्र०)

सामाजिक व्यवस्था के ख़िलाफ़

लिंगानुपात एवं अन्य विशेष कारणों से विवाह हेतु जोड़े की तलाश एक कठिन समस्या बनती जा रही है और विवाह पश्चात पछताते हुए कुछ लोग दिखायी भी देते हैं । ऐसे माहौल में देश के सभी धर्मों में शादी-विवाह के पंजीयन को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि विच्छेद/तलाक़ पश्चात महिलाओं की समस्याओं को दूर किया जा सके ।

अत: विवाह ही से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें नाबालिग़/बालिग़, प्रेम संबंध बनाकर एक ओर वर्षों अविवाहित जीवन व्यतीत करते हैं वासनाओं की पूर्ति कर व्याभिचार द्वारा सामाजिक व्यवस्था को दूषित कर संक्रामक रोगों को फैलाने का अनैतिक तथा दंडनीय कार्य करते हैं । विवाह अथवा कोठे एवं प्रेम संबंधों का जीवन एक ही समय में सामाजिक व्यवस्था के अंग नहीं बन सकते ।

अतएव विवाह के पंजीयन को अनिवार्य कर दिये जाने पर कोठों तथा प्रेम संबंधों को अवैध मानकर उनके प्रति कठोर प्रतिबंधात्मक क़ानून भी बनाया जाना चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन किसी प्रकार बिना विच्छेद के सफलता की ओर आगे बढ़ सके तथा विधवा एवं तलाक़शुदा महिला की समस्या के निदान, उसके पुनर्विवाह पर प्रमाण-पत्र पारितोष देने के साथ शासन की ओर से उन्हें शासकीय सेवा में विशेष छूट का अवसर भी दिया जाना चाहिए ।

मलिक
नागपुर

विनयशीलता की महत्ता

संसार में वही लोग आदर पाते हैं जो विनयवान होते हैं । इसे ऐसे समझा जा सकता है । कटोरी घड़े पर रखी रहती है, फिर भी वह सदा ख़ाली ही रहती है । अपनी रिक्तता पर खेद व्यक्त करते हुए एक दिन कटोरी ने घड़े से कहा–आप अपने पास आने वालों को भरपूर जल देते हो, फिर मेरे पर अनुग्रह क्यों नहीं करते ? घड़े ने कहा–हर आने वाला व्यक्ति विनयपूर्वक झुकता है और मांगता है पर तुम तो अहंकार के चलते मेरे सिर पर ही बैठती हो, तुम्हें दे भी पाऊं तो कैसे ? अतएव लेने के लिए यह ज़रूरी है कि हम विनयवान बने–बड़ों का आदर व सम्मान करें ताकि वह दिल खोलकर हमारी बात सुने ही नहीं बल्कि हमारी मनोकामना भी पूरी करें । ज़रूरत है 'विनय' को जीवन में हर क़दम पर अपनाने की, ग्रहण करने की और उस पर आचरण करने की ।

घेवरचन्द गोदीका
जयपुर (राजस्थान)

बधाई

'कान्ति' का मार्च अंक मिला । एक नया दृष्टिकोण, सारगर्भित रचनाएं–हमारा वास्तविक प्रेम पात्र कौन, वास्तविक सुख शांति सिर्फ़ इस्लाम में । इस्लाम-क्रूरता व नृशंसता के विरुद्ध व इस्लाम में पवित्र कमाई का महत्व ने मन को छुआ । कुछ अलग हटकर पढ़ने को मिला । आशा शैली की कहानी भास्कर बहादुर भी मन को छूती है । उत्कृष्ट पत्रकारिता में सम्मान प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई ।

विष्णु सक्सेना
धर्मपुर कॉलोनी, ज़िला-पंचकुला, हरियाणा

स्तरीय एवं पठनीय

'कान्ति' पत्रिका के पिछले कई अंक मिले, लेकिन पत्नी की बीमारी के कारण उत्तर समय पर न दे सका, जिसका मुझे खेद है । पत्रिका स्तरीय, साफ़-सुथरी व पठनीय लगी ।

पत्रिका में प्रकाशनार्थ एक मौलिक एवं अप्रकाशित ग़ज़ल भेज रहा हूं । कृपया पत्रिका में स्थान देकर अनुग्रहीत करें ।

प्रकाश सूना
गांधी कॉलोनी, मुज़फ़्फ़रनगर (उ०प्र०)

अशांति और हिंसा देश के लिए हानिकारक

शांति, भाईचारा क़ौमी एकता और क़ानून की हुकूमत के बिना आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो सकता । देश प्रगति और ख़ुशहाली के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेगा अगर

मकानों, दुकानों, बैंकों आदि सरकारी संपत्ति को लूटा और जलाया जाए, बेगुनाह महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की हत्या की जाए और देश के रहने वाले ही एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे हो जाएं । आतंकवाद, नक्सलवाद, साम्प्रदायिक दंगे, छोटे-बड़े बन्द, हिंसात्मक आन्दोलन आदि 64 साल में होने वाले विकास के मार्ग की रुकावट रहे हैं ।

यह समय की मांग है कि हम देशवासियों में अहिंसा, शांति, भाईचारा, सद्भावना, प्रेम और क़ौमी एकता को बढ़ावा दें । हम लोगों को यह भी बताएं कि नक्सलवाद, हिंसा, आतंकवाद, नफ़रत, जातिवाद आदि संविधान के ख़िलाफ़ हैं । ये देश की प्रगति और विकास के मार्ग में रुकावट हैं । हमें अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना चाहिए । आइए हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें ।

हसनैन कैफ़
भंडारा, महाराष्ट्र

अच्छी चर्चा

'कान्ति' का जून 2012 अंक मिला, धन्यवाद । आपका लेख "अनेकेश्वरवाद की वास्तविकता" पढ़ा, पढ़कर प्रभावित हुआ । आपने एक ही ईश्वर की बन्दगी करने पर ज़ोर दिया है, अल्लाह के अर्थ क्या है–यह भी अच्छे से समझाया है और साथ ही हिन्दू धर्म में एकेश्वरवाद के बारे में भी अच्छी चर्चा की है । कुल मिलाकर आपका लेख अच्छा है । बधाई !

आपने मेरे आलेख को स्थान दिया और साथ ही हमारी अकादमी के समाचार को भी प्रकाशित किया, आभारी हूं । शुभकामनाओं के साथ ।

अमित कुमार लाडी
मुख्य संपादक "आलराउंड"
आलराउंड अकादमी, डोडां स्ट्रीट,
फ़रीदकोट-151203 (पंजाब)

सापेक्ष

'कान्ति' के मार्च 2012 अंक में डॉ॰ रामनिवास 'मानव' एवं डॉ॰ खरे की कविताएं एवं क्षणिकाएं रम्य रहीं । विधवा जीवन पर विद्या प्रकाश का आलेख समय सापेक्ष रहा । एक ईश्वर एक विश्व परिवार विद्यमान हालात में एक सुखद पहल है ।

महंगाई

बिना ब्रेक की रेलगाड़ी है ।
चपेट में जिसकी जनता सारी है ।।

भ्रष्टाचार

न्याय के दरवाज़े सभी बन्द हैं ।
दरवाज़ों पर लगा है भ्रष्टाचार का ताला ।।

निरंजन कुमार 'निराकार'
रतलाम (म॰प्र॰)

क्षणिकाएं

(1)
साक्षरता समारोह में
रोचक दृश्य
उस समय
नज़र आया
जब सरपंच ने
साक्षरता प्रमाण-पत्र पर
अंगूठा लगाया ।

(2)
मैंने पुलिस अधिकारी
से किया सवाल
कि आप चोरी की
तफ़्तीश में
जासूसी कुत्ते क्यों नहीं
लगाते हैं
तो वे बोले कि हम
चोरी की तफ़्तीश में
जासूसी कुत्ते इसलिए
नहीं लगाते हैं कि
कुत्ते घटना स्थल सूंघकर
थाने में घुस जाते हैं ।

(3)
नम्बर दो
नम्बर एक
के पहले आता है
व्यवहार का गणित
तो हमें
यही सिखाता है ।

डॉ॰ शरद नारायण खरे
विभागाध्यक्ष इतिहास, शासकीय महिला महाविद्यालय,
मंडला-481661 (म॰प्र॰)

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

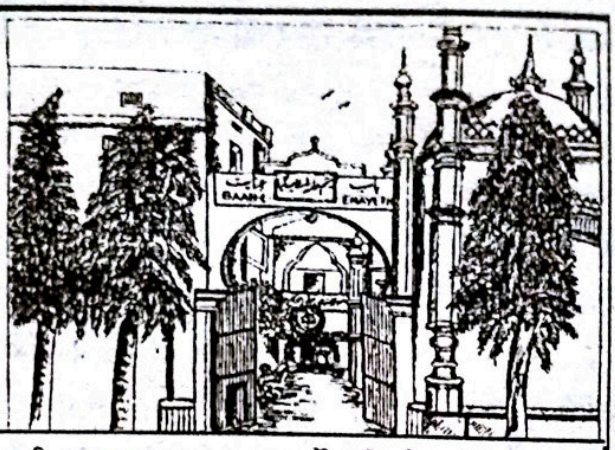

एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 95 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2012-2013 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० और लाइब्रेरी साइंस (BLIS) में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 16 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप ख़ुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

इनायत पोलिटेक्निक (ENAYETH POLYTECHNIC) की इमारत के निर्माण का काम जोरो शोर से जारी है।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,
UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्रांफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
CORE BANKIN G A/C NO.: 300402010010581, ☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष : डॉ० फ़रासत हुसैन

एज़ाज़ी नाज़िम : डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाएं

■ अबूज़र कमालुद्दीन

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं पर प्रकाश डालने के लिए तो एक पूरी किताब चाहिए । इसलिए यहां हम केवल उनका सारांश ही प्रस्तुत करेंगे । आगे बढ़ने से पूर्व एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपके द्वारा दी गयीं शिक्षाएं वे जानी-मानी सच्चाइयां हैं, जिन पर दुनिया आदिकाल से एकमत है । न तो आप कोई निराले रसूल हैं और न आपकी शिक्षाएं निराली हैं । आपने केवल उन शिक्षाओं को ज़िन्दा किया । आपने उन्हें अपने जीवन में बरत कर दिखाया । आपने ईश्वरीय शिक्षाओं को पूर्ण किया । यदि कोई आप (सल्ल०) और उन जानी-मानी सच्चाइयों और आदर्शों को झुठलाता है, जो सर्वमान्य हैं, क्योंकि आप (सल्ल०) की शिक्षाएं सभी पैग़म्बरों की शिक्षाओं का सार हैं, तो वह शाश्वत सत्य को ही झुठलाता है । अब आइये बिना किसी भेदभाव के आप (सल्ल०) की मौलिक शिक्षाओं का अध्ययन करें ।

आपकी शिक्षाओं के तीन मौलिक आधार हैं–

1. एकेश्वरवाद (तौहीद)
2. परलोकवाद (आख़िरत)
3. ईशदूतत्व (रिसालत)

एकेश्वरवाद अर्थात तौहीद

एकेश्वरवाद अर्थात तौहीद यह है कि ईश्वर अपने अस्तित्व, शक्ति और गुण में एक है, अनेक नहीं । संसार में पायी जाने वाली सारी वस्तुएं उसकी रचना हैं, उसका अंग और अंश नहीं । अत: ईश्वर के अस्तित्व, गुणों तथा शक्तियों का विभाजन नहीं किया जा सकता । अगर कोई ऐसा करता है तो यह मनगढ़ंत, अन्यायपूर्ण और असत्य है । ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य को ईश्वरीय शक्ति प्रदान करने का अर्थ यह है कि अनधिकार एक व्यक्ति को वह शक्ति प्रदान कर दी जाए, जिसके वह योग्य नहीं । इस अनधिकार शक्ति के प्रयोग से ही समाज में अशांति उत्पन्न होती है । तौहीद इस्लाम की प्रमुख और पहली शिक्षा है । यह इस्लाम की शिक्षाओं का पहला स्तंभ है । आल्डस हक्सले ने ईश्वर के अस्तित्व पर अयथार्थवादी टिप्पणी करते हुए कहा–"ईश्वर मानव-मस्तिष्क की अनुपम कृति है ।" हां, आल्डस का यह विचार बहुदेववाद की परंपरा को देखकर सत्य प्रतीत होता है । लोग बड़ी आसानी से किसी महान पुरुष को ईश्वर या भगवान की संज्ञा दे देते हैं और मनुष्य को ही नहीं वे तो पहाड़, नदी, समुद्र, वृक्ष, अग्नि, सांप, बिच्छू सभी चीज़ों को पूजते हैं । अपनी कल्पना के आधार पर देवी-देवताओं की प्रतिमा बनाते हैं और चूंकि उन्हें ईश्वरीय शक्ति से युक्त समझते हैं, इसलिए उनके कभी आठ हाथ, पांच मुंह, तीन नेत्र आदि बना देते । क्या मानव-समाज में ऐसे किसी व्यक्ति के पैदा होने का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण है । कदापि नहीं, तो फिर हक्सले की बात सही है कि ईश्वर को मानव-मस्तिष्क ने जन्म दिया है । नहीं, ईश्वर तो परम शक्ति है, जिसने संपूर्ण संसार को पैदा किया और मनुष्य उसकी अनुपम रचना है । अगर एक ईश्वर के सिद्धांत को इन्कार कर दिया जाए तो संसार का वह मूल कारक तत्व समाप्त हो जाता है, जिसके बिना इस संसार की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती । और यदि कोई व्याख्या की जाएगी तो वह असत्य और त्रुटिपूर्ण होगी । अत: इस्लामी विश्वास यह है कि ईश्वर एक है । इस पर सभी धर्म के लोग एक मत हैं, लेकिन इस एक ईश्वर से हमारा व्यावहारिक संबंध क्या होगा और कैसे होगा, यह बताने में वे असमर्थ हैं । इस्लाम की विशेषता यह है कि उसने ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रत्यक्ष व्यावहारिक संबंध स्थापित कर दिया है ।

परलोकवाद अर्थात आख़िरत

इस्लामी धारणा की दूसरी आधारशिला परलोकवाद अर्थात आख़िरत है, जिसका अभिप्राय यह है कि यह भौतिक संसार भी एक नियत दिन समाप्त हो जाएगा । फिर ईश्वर एक नये लोक को पैदा करेगा और मनुष्य से, जिसे बुद्धि और निर्णय-शक्ति प्रदान की गयी है; जिसके कारण उसे संपूर्ण संसार में प्राथमिकता प्राप्त है, इस जीवन के बारे में हिसाब-किताब लेगा । जिसने ईश्वरीय आदेशों का पालन

किया होगा और न्यायपूर्ण और नैतिक ढंग से जीवन बिताया होगा, वह ईश्वर के अंतिम फ़ैसले में कामयाब होगा तथा उसे चिरस्थाई परम सुख का स्थान जन्नत अर्थात स्वर्ग प्रदान किया जाएगा । और जिसने अनैतिक तथा अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया होगा, वह चिरस्थाई दुख के स्थान जहन्नम अर्थात नरक में डाल दिया जाएगा । यह इस धारणा का मूल है । ईसाई तथा यहूदी धर्मावलंबी भी इस धारणा पर विश्वास रखते हैं । भारत में पुनर्जन्म और परलोक की कल्पना पायी जाती है, परन्तु इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है । पुनर्जीवन तो होगा, परन्तु एक ही बार । अल्लाह अगली पिछली तमाम नस्लों को पुनः जीवित करके इकट्ठा करेगा और उनके कर्मों का पूरा-पूरा बदला देगा ।

आख़िरत मनुष्य को ज़िम्मेदार और उत्तरदायी बनाता है, अपने जीवन के प्रति भी, अपने समाज के प्रति भी और अपने ईश्वर के प्रति भी । वास्तव में यह दुनिया कोई खेल-तमाशे की जगह नहीं है, यह तो एक परीक्षालय है, यहां जैसे कार्य करेंगे आख़िरत में उसी का प्रतिफल मिलेगा । इस प्रकार आख़िरत की धारणा मनुष्य को ईश्वरीय आदेश में बांधे रखती है और उसे विचलित होने से बचाती है । जिस समाज में यह धारणा नहीं पायी जाएगी या कमज़ोर होगी उस समाज को अन्याय से बचा पाना मुश्किल है ।

ईशदूतत्व अर्थात रिसालत

ईशदूतत्व या रिसालत इस्लामी धारणा का तीसरा मौलिक आधार है, इसकी चर्चा विस्तारपूर्वक ऊपर हो चुकी है, यहां बस इतना और जान लीजिए कि ईश्वर ने मनुष्य को परीक्षा के लिए यहां पैदा करके और उसके हिसाब-किताब का एक दिन नियत करके उसे यूं ही छोड़ नहीं दिया है, बल्कि जीवन-यापन का सही ढंग बताने के लिए उसी दिन से, जिस दिन से मनुष्य को धरती पर पैदा किया, उसने अपने दूतों को भेजना शुरू किया, जो लोगों को ईश्वरीय आदेश बताते रहे और सही ज्ञान द्वारा जीवन में मार्गदर्शन करते रहे । यहां तक कि यह सिलसिला हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर समाप्त हो गया । यह धारणा धर्म की एकता का प्रतीक है । इस्लाम ने न किसी नबी या पैग़म्बर को झुठलाया और न किसी ईश्वरीय शिक्षा को, सिवाय उनके जो ग़लत तौर पर उनसे संबंद्ध कर दी गयी । भारत में अवतारवाद की एक विशेष कल्पना पायी जाती है, जिसका अर्थ यह बताया जाता है कि स्वयं ईश्वर मनुष्य या किसी अन्य वस्तु का रूप धारण करके इस धरती पर आता है और अधर्म को समाप्त कर देता है । इस्लाम इसमें केवल इतना संशोधन करता है कि ईश्वर स्वयं नहीं, बल्कि अपनी ओर से महान पुरुषों को इस कार्य के लिए भेजता है, जो उसके आदेशों के अनुरूप अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करते हैं । भारत में हम जिन लोगों को भगवान या देवता के नाम से पुकारते हैं, हो सकता है कि वास्तव में वे ईश्वरीय दूत रहे हों, जिनको ग़लती से भगवान समझ लिया गया है ।

इन तीनों मौलिक सिद्धांतों से पता चलता है कि ये कितने युक्तिसंगत और भारतीय विचारों के निकट हैं ।

मनुष्य मन और मस्तिष्क का संगम है । नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी ज़रूरी है । इसी से मन को शांति मिल सकती है । धर्म ही आध्यात्मिकता का स्रोत है । इस्लाम ने मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए मूल रूप से निम्नलिखित चार स्रोत बताए हैं–

1. नमाज़, 2. रोज़ा, 3. ज़कात, 4. हज

नमाज़

नमाज़ सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने मनुष्य की दासता और मानव की पारस्परिक समानता का प्रतीक है । नमाज़ में लोग क़ुरआन की आयतें पढ़ते और दुआएं मांगते हैं । नमाज़ ईश्वर से मनुष्य का प्रत्यक्ष संबंध जोड़ती है और अदृश्य ईश्वर के प्रति उसकी आस्था को दृढ़ बनाती है । उससे डरने और प्रेम करने की भावना जगाती है । उसके आज्ञापालन के लिए तैयार करती है । नमाज़ ईश्वर के सामने अपने संपूर्ण इन्द्रियों समेत समर्पण का भाव उत्पन्न करती है, नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ना अनिवार्य है । यह समाज में अनुशासन पैदा करने, संगठित रहने और ईश्वर के आदेश का मिल-जुलकर पालन करने की शिक्षा देती है । यह आध्यात्मिक विकास का साधन तो है ही, इसके अतिरिक्त सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलू भी हैं ।

प्रत्येक नमाज़ के पहले लोगों को अज़ान के द्वारा मस्जिद में जमा होने के लिए पुकारा जाता है । इसके संबंध में भारत में एक भ्रांति यह पायी जाती है कि मुल्ला जो बांग देता है, क्या ख़ुदा बहरा है कि उसको सुनाता है । वास्तव में अज़ान ख़ुदा को सुनाने के लिए नहीं, ख़ुदा के बन्दों को बुलाने के लिए दी जाती है । आपको किसी को बुलाना हो

तो आप क्या करेंगे ? किसी व्यक्ति का नाम लेकर पुकारेंगे, घंटा बजाएंगे, शंख फूंकेंगे या बिगुल बजाएंगे । अज़ान बुलाने के सभी उपायों में एक अनुपम उपाय है । इसमें व्यक्ति को ईश्वर की महिमा और मानव-कल्याण का हवाला देकर ईश्वर की भक्ति की ओर बुलाया जाता है । अज़ान के बोल इस प्रकार हैं–

अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है । मैं गवाही देता हूं कि ईश्वर एक है, मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद (सल्ल०) ईश्वर के दूत हैं । आओ नमाज़ की ओर, आओ कल्याण की ओर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इलाह (पूज्य प्रभु) नहीं ।

यह है अज़ान की पुकार ! दुनिया ने इससे सुन्दर और अनुपम बोल आज तक आविष्कृत नहीं किये जब कोई व्यक्ति नमाज़ के लिए मस्जिद में दाख़िल होता है, तो अपने एकेश्वरवादी होने का ऐलान करता है, अपने और दुनिया के लिए उससे रहमत की भीख मांगता है और प्रत्येक नमाज़ की समाप्ति अपने दोनों ओर "अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह" कहकर करता है, जिसका अर्थ है तुम पर ईश्वर की सलामती और रहमत हो । इस प्रकार वह सारी दुनिया के लिए शांति और दयालुता का संदेश लेकर मस्जिद से बाहर निकलता है । फ़र्ज़ नमाज़ें तो केवल पांच हैं । सूरज निकलने से पहले सुबह में, दोपहर ढलने के तुरंत बाद, सूरज डूबने से कुछ पहले, सूरज डूबने के तुरंत बाद और दो घंटा रात बीतने के बाद । इन नमाज़ों को इस्लामी शब्दावली में क्रमशः फ़ज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ कहते हैं । पांच वक़्त की नमाज़ें सभी के लिए अनिवार्य हैं । इसके अतिरिक्त भी अगर कोई और पढ़ना चाहे तो जितनी बार चाहे पढ़ सकता है । इस प्रकार की नमाज़ को नफ़्ल नमाज़ कहते हैं ।

रोज़ा

नमाज़ के अतिरिक्त रोज़ा आध्यात्मिक विकास का दूसरा मुख्य स्रोत है । व्रत संपूर्ण मानवजाति में आध्यात्म का प्रतीक माना गया है । इस्लाम में तीस दिन का रोज़ा प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष के लिए अनिवार्य है । केवल बीमार और मुसाफ़िर को इसमें छूट दी गयी है कि वे स्वस्थ होने के बाद या घर लौटने के बाद रोज़ा रखें । रोज़ा मनुष्य के अन्दर दानवत्व की दुष्प्रवृत्ति को रोकने का एक कारगर नुस्ख़ा है । इससे आत्मबल और सहनशीलता पैदा होती है और भूखे-नंगे लोगों की पीड़ा को जानने का अवसर मिलता है । रोज़ा का मूल सार यह है कि जब एक व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा से एक विशेष समय में खाना-पीना छोड़ सकता है, तो क्या उसकी आज्ञा से ग़लत काम नहीं छोड़ सकता ? अवश्य छोड़ देगा । जो व्यक्ति इस विश्वास से रोज़ा नहीं रखता, उसके लिए रोज़ा रखना निरर्थक है । रोज़े के दिनों में सूरज निकलने से सूरज डूबने तक खाना-पीना और औरत के पास जाना हराम (अवैध) है । राज में भोजन करने और औरत के पास जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं । भोर होने से पूर्व सहरी खाना वांछनीय है । रोज़ा आध्यात्मिक और शारीरिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी है ।

ज़कात

इस्लाम का तीसरा आध्यात्मिक आधार ज़कात है । ज़कात कोई भीख या अनुदान नहीं है और न यह कोई कर है, बल्कि यह एक माली इबादत है । ज़कात क़ा शाब्दिक अर्थ स्वच्छता और विकसित होना होता है और प्रयोग में इसका अर्थ धन-प्रेम के स्थान पर ईश्वर की पूजा और मानव-प्रेम है । समाज में कोई धनी है और कोई निर्धन । अतः ज़कात पारस्परिक सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचायक है । प्रत्येक उस व्यक्ति को, जिसके पास कम से कम 52½ तोला चांदी के मूल्य के बराबर माल संचित हो, उसे प्रति वर्ष अपने धन और संपत्ति का ढाई प्रतिशत ज़कात के रूप में चुकाना पड़ता है । इस्लामी राज्य के कार्यों में एक मुख्य कार्य ज़कात का जमा और ख़र्च करना भी है । ज़कात एक प्रकार का इस्लामी सामाजिक सुरक्षा-कोष है । इस कोष से समाज के निर्धन, बेकार, अपाहिज, अनाथ, बेवा, क़र्ज़दार, गुलाम और मुसाफ़िर की मदद की जाती है । इस्लाम में निर्धनता और भीख मांगने को नापसन्द किया जाता है । और इस्लामी राज्य नहीं चाहता कि राज्य में कोई असहाय और मुहताज रह जाए । अतः यह आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक अनुपम व्यवस्था है, जो ईश्वर-भक्ति और मानव-प्रेम का प्रतिफल है ।

हज

हज आध्यात्म की सबसे ऊंची चोटी है । हज में उपर्युक्त तीनों प्रक्रियाओं का समावेश पाया जाता है । हज में मनुष्य अपने घरबार, कारोबार और सांसारिक कार्यों को कुछ दिनों के लिए छोड़कर केवल एक ईश्वर की भक्ति और

Md. Rashid
9835125717

N. S. ENCLAVE

Masud Ahmad
9431107797

आप मकान,
दुकान, कोठी,
रिहाइशी मकान एवं
सस्ते और सुन्दर
प्लाट एवं फ्लैट
के लिए
संपर्क करें।

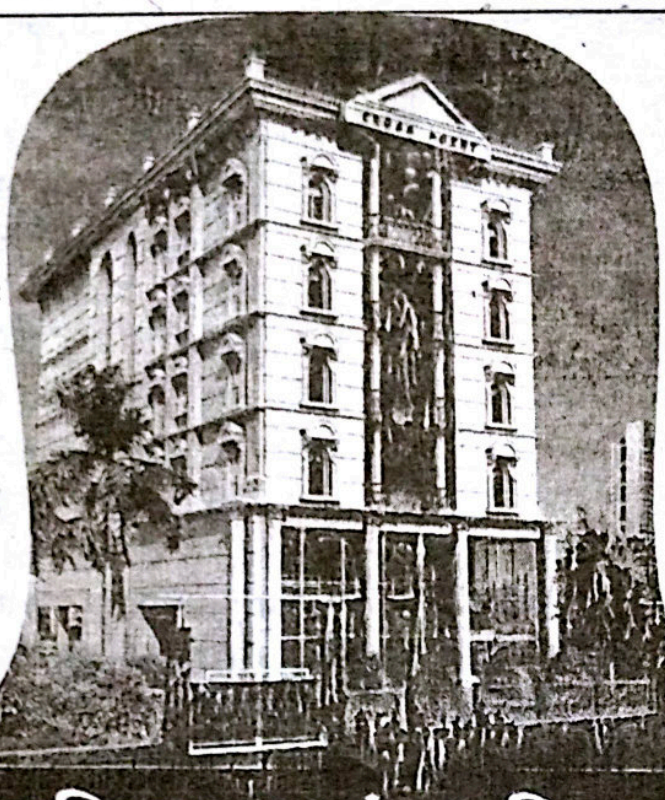

साथ में
बी॰ एंड॰ कॉलेज
एवं
इंजीनियरिंग कॉलेज
की भी सुविधा
उपलब्ध है।

साथ में मस्जिद एवं क़ब्रिस्तान भी है।

नग़मा ड्रेसेज

हमारे यहां फैंसी साड़िया, रेडिमेड ड्रेस, टी शर्ट,
बाबा सूट, फ्रॉक, मिडी, नाइटी, स्कूल ड्रेस,
जींस पैंट एवं फैंसी रेडिमेड हर तरह के वस्त्रों के लिए पधारें।

OFFICE CONTACT : NAGMA DRESSES
Booti Chowk, Dubey Market, Ranchi (Jharkhand)

CONTACT No. 2 Masud Ahmad, Hamid Book Depot,
Opp. Urdu Library,
Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

Mobile : 09431107797

उपासना के लिए घर से निकल जाता है और यह कहता है–

''मैं उपस्थित हूं ईश्वर ! मैं उपस्थित हूं मेरे अल्लाह ! तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं, तेरा कोई साझी नहीं । मैं उपस्थित हूं ऐ मालिक ! मैं उपस्थित हूं ।''

इस तरह संपूर्ण समर्पण-भाव से लोग एकेश्वरवाद के केन्द्र काबा में जमा होते हैं । वहां नमाज़ें पढ़ते हैं, तवाफ़ (परिक्रमा) करते हैं, क़ुरबानियां देते हैं, शैतान से छुटकारा प्राप्त करते हैं । और पाक होकर इस संकल्प के साथ वापस लौटते हैं कि अब वे कोई गुनाह नहीं करेंगे और ईश्वरीय आदेश के पालन में सतत प्रयत्नशील रहेंगे । हज एक ईश्वर पर विश्वास रखने वालों की एकता, समानता, अन्तर्राष्ट्रीय और बंधुत्व का प्रदर्शन भी है ।

हज केवल उन लोगों पर फ़र्ज़ है, जो वहां तक जाने का सामर्थ्य रखते हों । इसी प्रकार ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है, जिनके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचत होती हो, परन्तु नमाज़ और रोज़ा अमीर-ग़रीब, स्त्री-पुरुष सभी पर फ़र्ज़ है । आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन चीज़ों के अतिरिक्त चिंतन-मनन, स्मरण (ज़िक्र) और तिलावत (क़ुरआन का पाठ) भी ज़रूरी है । मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने जीवनकाल में अपनी शिक्षाओं से जो समाज बनाया, उसमें ये गुण शत-प्रतिशत पाये जाते थे । आज के मुसलमानों में जो ख़राबी उत्पन्न हुई है, वह इन्हीं आध्यात्मिक उपायों को छोड़ देने तथा ठीक से इनको न अपनाने का दुष्परिणाम है ।

कश्मीर में गुमनाम क़ब्रों पर रिपोर्ट मांगी

कश्मीर में गुमनाम क़ब्रों के बारे में मानवाधिकार आयोग के बाद अब राज्य सूचना आयोग ने गत दिनों पुलिस को नोटिस जारी कर सूचना मांगी है । आयोग ने कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में गुमनाम क़ब्रों वाले क़ब्रिस्तान और बीते दो दशक के दौरान मारे गये नागरिकों का ब्योरा तलब किया है । एसोसिएशन ऑफ़ पैरेंट्स ऑफ़ डिस्एपियर्ड पर्सन्स (ए०पी०डी०पी०) और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस, कश्मीर के प्रवक्ता ख़ुर्रम परवेज़ ने इस सिलसिले में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जी०आर० सोफ़ी ने राज्य पुलिस को यह निर्देश जारी किया । मालूम रहे कि वहां सेना व पुलिस की हिरासत में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं ।

कविता

हम तो नेता हैं

हम तो नेता हैं !
देर से आना
हमारा है स्वभाव
जब तक न हो पैदा
जनता के हृदय में व्याकुलता
आंखों में
हम से मिलने की आतुरता
तब तक हम
मंच प़र नहीं आते !
हम स्थितियों को
बनाते हैं अपने अनुकूल
फैलाते हैं–समस्याएं,
सुलझाने से ज़्यादा
देते हैं सुलझाने के आश्वासन ।
हम जानते हैं, हमारे नेता
बने रहने के लिए
ज़रूरी है समस्याओं का भी
बने रहना !
हम-पहचानते हैं जनता की नब्ज़,
जानते हैं कल के सुख-दुख
बन जाते हैं इतिहास,
पर आज का सुख रहता है याद ।
हम-लौटने से पहले
फैलाते हैं अपनी माया
सुख-समृद्धि
बिजली पानी के
आश्वासनों की छाया,
जनता इसकी शीतल हवा में
बैठकर है सुस्ताती
हमें बुलाती !
हम आते हैं
हम तो आएंगे
हम तो नेता हैं !

विष्णु सक्सेना
बी-2/29, धर्मपुर कॉलोनी
पिंजौर-134102 (हरियाणा)

बेहतरीन धर्म इस्लाम

'कान्ति' नाम की पत्रिका स्वयं को सार्थक कर रही है । इसके कई अंक पढ़े । अभी हाल ही में जार्डन, दुबई व अबुधाबी की यात्रा करके मैं लौटा हूं या कहूं तक़रीबन पन्द्रह दिन मैंने मुस्लिम देशों में बिताया, बहुत अच्छा लगा । मेरे दिल-दिमाग़ में बैठा था कि मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा कट्‌टर है ।

औरतों के साथ बहुत पर्देदारी है, पर ऐसा कुछ भी मुझे इन पन्द्रह दिनों में देखने को नहीं मिला । जार्डन में परिवार के मुखिया अपने बीवी-बच्चों, मां-बाप सहित बाहर घूमने निकलते हैं । पर्दे के बीच भी महिलाओं को प्रचुर आज़ादी मिली है । हर शुक्रवार व शनिवार को अक्सर परिवार पिकनिक के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं ।

जार्डन चूंकि एक शुष्क गर्म देश है, इसलिए यहां बड़े छायादार घने पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं । खजूर, बबूल और ऑलिक के पेड़ सब जगह दिखते हैं । अब ऐसे पेड़ के नीचे कितनी छाया मिलेगी–बावजूद इसके लोग इन पेड़ों के नीचे परिवार सहित बैठे दिखे । खाना या तो स्पॉट पर बना या फिर घर से पका-पकाया आ गया । सड़क के दोनों तरफ़ कई किलोमीटर तक यही नज़ारा दिखा और साथ ही छोटी-बड़ी अनगिनत गाड़ियां भी वहीं खड़ी मिलीं, यानी महिलाओं को इतना हक़ दिया गया है कि वे समस्त परिवार के साथ सप्ताहांत में अपनी मर्ज़ी से हंसी-ख़ुशी दिन गुज़ार सकें, वरना तो मैं यही सोचती रहती कि औरतों की सीमा रेखा सिर्फ़ अपने घर तक ही सीमित रहती है ।

ख़ैर, मेरा ये भ्रम टूटा और बेइंतिहा ख़ुशी हुई कि वहां की औरतें भी रोज़मर्रा के अपने कामों से इतर कुछ कर रही हैं ।

निस्संदेह इसके पीछे वहां के पुरुष वर्ग की ऐसी खुली मानसिक सोच है । एक और चीज़ जो मेरे लिए बड़े अजूबी-सी लगी और वह था–रोटियां घर में न पकाकर बाज़ार से ख़रीदी जाती हैं यानी औरतों को इस काम से हमेशा के लिए छुट्‌टी । साग-सब्ज़ी, नॉनवेज घर में बनाइये और रात को रोटियां बाज़ार से ख़रीद लें । इन रोटियों का साइज़ भी माशाअल्लाह कई तरह के, जिसमें छोटी रोटी का साइज़ ही इतना बड़ा कि एक रोटी में एक बंदे का पेट भर जाए और दूसरा साइज़ इतना बड़ा कि एक रोटी एक परिवार के लिए काफ़ी है । शाम ढ़लते ही बंदे के हाथ में रोटियों का पैकेट घर में न आटा रखने का झमेला, न चकला-बेलन-चिमटे की घुसपैठ ।

ख़ैर जो देखा सुखद लगा । सच कहूं तो इस्लाम धर्म व क़ुरआन आदि के बारे में ख़ूब विस्तार से पहले नहीं जानती थी, पर जार्डन से लौटकर अचानक इस्लाम धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा प्रबल हो गयी है । इस इच्छा को बढ़ाने में यक़ीनन इस पत्रिका 'कान्ति' का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने मेरे अन्दर सचमुच एक क्रांति भर दी ।

उम्मीद करती हूं आपकी पत्रिका का संग हमेशा बना रहेगा । इस्लाम धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा जानूं । उसे अपने क़रीब लाऊं, इसका प्रयास रहेगा, पर अब तक जितना जाना है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यह एक सुलझा व बेहतरीन धर्म है, जो जीवन के हर मोड़ पर, हर पहलू, हर दिशा व हर इन्सान के बीच सिर्फ़ मुहब्बत के बीज बोता है, अलगाव की बात नहीं करता । सिर्फ़ इस्लाम धर्म क्यों हमारी दुनिया का कोई-सा भी धर्म हमें मानव विरुद्ध कार्य करने की सीख नहीं देता ।

ये तो हमारी अपनी सोच है कि हम कौन-सा राह चुनें, पर राह वही हो जो प्रेम व भाईचारे की तरफ़ अग्रसर हो । हम चाहे जिस धर्म को समझे, मानें पर उसके पहले एक सच्चे ईमानदार इन्सान बनने की कोशिश करें तभी इस दुनिया का भला है । समस्त मानवजाति की भलाई है ।

माला वर्मा
24 परगना (उत्तर)
प० बंगाल-743135

विरासत का क़ानून

● संपादन प्रभाग

'विरासत' एक अति प्रचलित शब्द है जिसका भावार्थ होता है अपने वंशजों से कुछ प्राप्त करना, चाहे वह धन-सम्पत्ति के रूप में हो या आदर्श, उपदेश अथवा संस्कार के रूप में ।

परन्तु इस्लामी शरीअत में इस 'पारिभाषिक' शब्द का उपयोग उस धन-सम्पत्ति के लिए किया जाता है जो मृत्यु के समय मृतक के स्वामित्व में रह गयी हो और जिसे दूसरों में वितरित किया जाएगा । इस्लामी शरीअत में इस वितरण का पूर्ण क़ानून है जिसे इस्लामी 'विरासत का क़ानून' कहा जाता है ।

इस्लाम ईश्वर द्वारा निर्धारित एक जीवनशैली का नाम है जो सम्पूर्ण मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन और क़ानून प्रदान कर के एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके और उसकी समृद्धि और विकास के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न न हो । क्योंकि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है इसलिए इस्लाम ने उसे सुदृढ़ करने पर बहुत ज़ोर दिया है ।

इस्लाम परिवार को एक संस्था के रूप में देखता है । जिस प्रकार एक संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों में उत्तरदायित्व का निर्धारण आवश्यक है, उसी प्रकार इस्लाम भी इस परिवार रूपी संस्था में प्रत्येक सदस्य के उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है और उससे आशा करता है कि वह इस संस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना पूर्ण सहयोग देगा ।

परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने से एक सदस्य अवश्य कम हो जाता है पर संस्था समाप्त नहीं होती । ऐसी परिस्थिति में इस्लाम यह उचित समझता है और सुनिश्चित भी करता है कि मृतक की सम्पत्ति का वितरण संस्था के बाक़ी सदस्यों में उनके उत्तरदायित्व के अनुसार हो । अधिकार एवं उत्तरदायित्व के चयन में सदस्यों को आपसी कलह और संघर्ष से बचाने के लिए इस्लाम ने इसका निर्धारण स्वयं कर दिया और मृतक की सम्पत्ति के वितरण का एक विस्तृत क़ानून भी प्रदान कर दिया जिससे उसका वितरण सुचारू रूप से हो सके । इसी क़ानून को 'इस्लामी विरासत का क़ानून' के नाम से जाना जाता है । पवित्र क़ुरआन की निम्नलिखित आयतों में विस्तार से इसका विवरण आया है–सूरा बक़रा : 180, 240, सूरा निसा : 7-12, 14, 19, 33, 176, सूरा माइदा : 75, सूरा अहज़ाब : 6

इन समस्त आयतों के गहन अध्ययन के पश्चात् इस्लामी विरासत के क़ानून और इससे संबंधित अन्य विषयों को समझने के लिए निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत व्यक्त किया जा सकता है–

1. अनिवार्य अनुपालन

इस्लामी विरासत के क़ानून के अनुपालन को मुसलमानों की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इसे अनिवार्य घोषित किया गया है । क़ुरआन की सूरा निसा आयत 13-14 में विरासत के इस क़ानून को "ईश्वरीय सीमा" की संज्ञा दी गयी है और इसका उल्लंघन करने वाले को सदैव नरक में डाले जाने के कठोर दंड की चेतावनी भी दी गयी है । एक इस्लामी राष्ट्र का यह कर्तव्य होता है कि वह इसके अनुपालन को सुनिश्चित करे और उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दे ।

2. समस्त सम्पत्ति का वितरण किया जाएगा

पवित्र क़ुरआन के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि मृतक की समस्त सम्पत्ति का वितरण किया जाएगा, चाहे वह धनी रहा हो या निर्धन एवं उसकी सम्पत्ति कम हो या अधिक । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का निर्देश है कि मृतक की समस्त सम्पत्ति का वितरण हर परिस्थिति में अनिवार्य है चाहे उसने एक गज़ कपड़ा ही छोड़ा हो ।

3. हर प्रकार की सम्पत्ति का वितरण किया जाएगा

सम्पत्ति चाहे चल हो या अचल, नक़दी हो या घर, खेत हो या मवेशी या कोई व्यवसाय, सभी का वितरण किया जाएगा और कुछ भी इस क़ानून से मुक्त नहीं रखा जा सकता । अर्थात मृतक के स्वामित्व में जो भी सम्पत्ति होगी

उसका वितरण अनिवार्य है चाहे वह किसी भी रूप में हों।

4. यह क़ानून मृत्यु के पश्चात ही लागू होता है

विरासत तो कहते ही उस सम्पत्ति को हैं जो मृत्यु के पश्चात किसी के स्वामित्व में रह गयी हो। अत: जीवित व्यक्ति की किसी भी सम्पत्ति पर यह क़ानून लागू नहीं होता और उसे पूर्ण अधिकार है कि अपने जीवन में वह अपनी समस्त सम्पत्ति का क्रय-विक्रय अपनी इच्छानुसार कर सके।

इस्लामी विरासत का क़ानून एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही कार्यान्वित होता है। अपने जीवन में ही अपनी समस्त संपत्ति को अपने संभावित उत्तराधिकारियों में वितरित करने का अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति को है, पर इसे विरासत के वितरण का बदल नहीं बनाया जा सकता।

5. उत्तराधिकारी कौन ?

इस्लामी विरासत का क़ानून मृतक के परिवार के मात्र किसी एक सदस्य को समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्रदान नहीं करता, बल्कि मृतक से रिश्ते की निकटता के आधार पर सभी सदस्यों में इसका वितरण करता है। निकटतम संबंधी (पति, पत्नी, पुत्री, मां, बाप, दादा) को सबसे अधिक अंश प्राप्त होता है, उसके बाद उससे कम और उसके बाद उससे कम। यहां पर यह बात स्पष्ट अतिआवश्यक है कि इस्लाम में इस निकटता का निर्णय संबंधों की मधुरता एवं कटुता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका निर्धारण रिश्तों के आधार पर होता है। संबंधों की कटुता के कारण किसी भी सदस्य को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार संबंधों की मधुरता के कारण किसी को उसके अंश से अधिक नहीं दिया जा सकता है।

पवित्र क़ुरआन की आयतों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष भी निकलता है कि इस परिवार रूपी संस्था के बाहर के किसी भी व्यक्ति का विरासत में कोई अंश नहीं होता और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकता।

6. स्त्री और पुरुष दोनों उत्तराधिकार में शामिल

समाज में फैली भ्रांतियों के विपरीत इस्लाम स्त्री को परिवार रूपी संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानता है और विरासत में उसे भी अधिकार देता है जैसे पुरुष को। वह चाहे मां के रूप में हो या पत्नी, बहन अथवा बेटी के रूप में, इस्लामी विरासत के क़ानून में उसके लिए ईश्वर की ओर से अंश निर्धारित कर दिये गये हैं और किसी को भी उसे इससे वंचित करने का अधिकार नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अंश की मात्रा परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कभी स्त्री को पुरुष का आधा अंश प्राप्त होता है, कभी बराबर और कभी पुरुष से दोगुना।

7. वसीयत

कोई व्यक्ति अगर यह इच्छा रखता हो कि उसकी मृत्यु के पश्चात परिवार के बाहर के भी किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समाज सेवा के लिए उसकी सम्पत्ति में से कुछ अंश दिया जाए, तो इस्लाम उसे अधिकार देता है कि अपनी मृत्यु से पूर्व वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत कर सकता है। इस्लाम मृतक द्वारा की गयी वसीयत का आदर करता है और अपने अनुयायियों को आदेश देता है कि उसे कार्यान्वित किया जाए।

इस अधिकार को दुरुपयोग से बचाने के लिए इस्लाम ने इसकी सीमाएं भी निर्धारित की हैं और वह निम्नलिखित हैं :

(1) वसीयत समस्त सम्पत्ति के एक-तिहाई से अधिक की नहीं हो सकती।

(2) वसीयत उस संबंधी के पक्ष में नहीं हो सकती, जिसके लिए पहले से ही विरासत के क़ानून में अंश निर्धारित कर दिया गया है।

यह दोनों प्रावधान इसलिए आवश्यक थे कि कहीं कोई व्यक्ति इसको अस्त्र के रूप में प्रयोग कर के अपने संबंधियों को उनके अधिकार से वंचित न कर सके या वह अपनी सम्पत्ति का अधिकांश अंश परिवार के ही किसी सदस्य के नाम न कर दे।

8. विरासत का उत्तराधिकारी जीवित व्यक्ति ही

विरासत उन्हीं व्यक्तियों में वितरित की जाएगी जो सम्पत्ति मालिक की मृत्यु के समय जीवित होंगे। यदि किसी संबंधी की मृत्यु सम्पत्ति-मालिक से पूर्व ही हो चुकी हो तो उसका नाम उत्तराधिकारी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

यही कारण है कि अपनी सम्पत्ति को अपने जीवन में ही कोई व्यक्ति विरासत के रूप में वितरित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं मालूम की उसकी मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारियों में से कौन जीवित बचेगा और कौन

नहीं ।

9. वितरण कौन करेगा ?

विरासत का क़ानून किसी की मृत्यु के पश्चात ही कार्यान्वित होता है इसलिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में ही इसे प्रभाव में नहीं ला सकता । उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी आपसी सहयोग और सहमति से ईश्वर द्वारा दिये गये निर्देश के अन्तर्गत इसे लागू करेंगे । इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो वह किसी विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकते हैं ।

10. वितरण शीघ्रता से होना चाहिए

चूंकि सम्पत्ति का विवाद प्राय: परिवार में कलह और विघटन का प्रमुख कारण भी बन जाता है, इसलिए इस्लाम चाहता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति का वितरण शीघ्रता से कर दिया जाए जिससे की उसके नये स्वामी का निर्धारण हो सके और परिवार रूपी संस्था सुचारू रूप से चलती रहे ।

11. ऋण

अगर मृतक पर कोई ऋण है तो इस्लाम चाहता है कि उसकी अदाएगी मृतक की सम्पत्ति से की जाए । ऋण की अदाएगी विरासत के क़ानून के कार्यान्वयन से पूर्व की जाएगी ।

12. हिबा

यहां आवश्यक प्रतीत होता है कि पाठक को इस्लामी क़ानून के एक और नियम ''हिबा'' से भी अवगत करा दिया जाए जो किसी व्यक्ति के जीवन में ही लागू हो जाता है । इसके अनुसार, किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने जीवन में ही अपने धन-सम्पत्ति की मिल्कियत, पूरी या अंश में किसी भी व्यक्ति को (चाहे वह रिश्तेदार हो या न हो) या किसी संस्था को दे दे और उन्हें उसका क़ानूनी मालिक बना दे । इस क़ानूनी अधिकार के बावजूद, इस्लाम नैतिक स्तर पर यह पसन्द करता और इसकी शिक्षा भी देता है कि कोई व्यक्ति हिबा के क़ानूनी प्रावधान को इस्तेमाल करके वारिसों को अपने धन-सम्पत्ति से बिल्कुल वंचित (महरूम) न कर दे ।

वास्तव में, हिबा की क़ानूनी गुंजाइश कुछ असाधारण परिस्थितियों के लिए रखी गयी है, जो किसी व्यक्ति को कुछ विशेष व असामान्य अवस्थाओं में पेश आ सकती हैं ।

वितरण का कार्यान्वयन और उसका अनुक्रम

वास्तविकता तो यह है कि इस्लामी विरासत के क़ानून के कार्यान्वयन का आरंभ मृतक के अंतिम-संस्कार पर आये ख़र्च से ही हो जाता है । विरासत के वितरण का पूर्ण क्रम इस प्रकार है :

(i) अन्तिम संस्कार : मृतक की विरासत से सर्वप्रथम उसके अन्तिम संस्कार पर आये ख़र्च को निकाला जाएगा उससे जो शेष रह जाएगा उस पर अगले चरण का कार्यान्वयन होगा ।

(ii) ऋण की अदायगी : यदि मृतक पर कोई ऋण था तो उसकी अदायगी अन्तिम संस्कार के बाद सम्पत्ति के अवशेष से की जाएगी, इसके बाद ही बची सम्पत्ति अगले चरण में जाएगी ।

(iii) वसीयत : तीसरे क्रम पर वसीयत पूरी की जाएगी । यह वसीयत मृतक के किसी दूर के संबंधी, मित्र अथवा किसी संस्था के नाम से हो सकती है ।

(iv) उत्तराधिकारियों में वितरण : प्रथम तीन चरणों से जो सम्पत्ति शेष बचेगी उसका वितरण मृतक के उत्तराधिकारियों में विरासत के क़ानून के अनुसार किया जाएगा । किसको कितना अंश मिलेगा यह मृतक के उत्तराधिकारियों की संख्या और उससे संबंध पर निर्भर करता है, इसलिए इसका विस्तृत विवरण यहां देना संभव नहीं है । इसकी जानकारी कुरआन में वर्णित आदेशों में, और उनकी व्याख्या इस्लामी विधिशास्त्र की पुस्तकों से प्राप्त की जा सकती है ।

(v) बैतुलमाल (सरकारी कोष) : संयोग से अगर किसी मृतक का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है तो उसकी पूर्ण सम्पत्ति बैतुलमाल में जमा कर दी जाएगी, जिससे कि वह समाज के विकास में उपयोग की जा सके ।

इस्लामी विरासत के क़ानून के उद्देश्य

इस्लामी विरासत का क़ानून मात्र सम्पत्ति वितरण का क़ानून नहीं है, बल्कि इससे अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है जो परिवार एवं समाज के लिए आवश्यक हैं । ये मुख्यत: तीन हैं :

(1) सम्पत्ति के प्रवाह को रुकने से बचाना

किसी भी समाज में सुख, शान्ति एवं समृद्धि तभी संभव है, जब उसमें सम्पत्ति सदैव प्रवाहित होती रहे और कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में सीमित होकर न रह जाए ।

ہماری بعض اہم کتابوں کا پہلی بار

ہندی ایڈیشن

नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं? ✍ मौलाना सय्यद अबुल- आला मौदूदी	[نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟]	12.00
मुस्लिम औरतों की ज़िम्मेदारियाँ ✍ मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	[مسلمان خواتین کی ذمے داریاں]	20.00
भारत में इस्लाम की दावत की अहमियत और उसके तक़ाज़े ✍ मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	[ہندستان میں اسلام کی دعوت اہمیت اور تقاضے]	14.00
काबा का सफ़र ✍ मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	[سوے حرم چلا]	24.00
प्यारे नबी (सल्ल०) की चहेती बेटियाँ ✍ फ़ज़्ले-क़दीर नदवी	[رسول اللہؐ کی صاحبزادیاں]	16.00
इस्लाम सफलता का एकमात्र रास्ता ✍ मौलाना सय्यद हामिद अली	[اسلام کامیابی کا واحد راستہ]	08.00
इशदूतत्व की धारणा विभिन्न धर्मों में	[مجموعہ مضامین]	20.00
प्यारे नबी (सल्ल०) के चार साथी-3 हज़रत उस्मान ग़नी (रज़ि०) ✍ इरफ़ान ख़लीली	[پیارے نبیؐ کے چار یار حضرت عثمان غنیؓ - حصہ سوم]	35.00
प्यारे नबी (सल्ल०) के चार साथी-4 हज़रत अली (रज़ि०) ✍ इरफ़ान ख़लीली	[پیارے نبیؐ کے چار یار حضرت علیؓ - حصہ چہارم]	30.00
ईश्वर की रहस्यमय हस्ती ✍ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	[خدا کی پراسرار ہستی کا تصور]	14.00
हदीस सौरभ (अनुवाद एवं व्याख्या सहित) भाग-2 ✍ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	[کلام نبوت - جلد دوم]	350.00

MMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 • Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) • Fax: 26947858 • E-mail:mmipublishers@gmail.com • Website: www.mmipublishers.net

इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि समाज में सम्पत्ति सदैव प्रवाह में रहे । यही कारण है कि जब भी इस्लाम को पूर्ण रूप से किसी समाज में स्थापित किया गया है वहां सुख, शान्ति और समृद्धि के द्वार खुल गये हैं और इसका स्वाद हर किसी को चखने को मिला है ।

सम्पत्ति के संचय से जहां एक ओर इसका वितरण असमान हो जाता है और ग़रीबी फैलती है, वहीं दूसरी ओर आदमी में लोभ और कंजूसी की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है । पवित्र क़ुरआन में ईश्वर ने ऐसा करने वालों को कठोर दंड की चेतावनी दी है ।

आज हमारा पूरा समाज इसी बीमारी से ग्रस्त है और यही कारण है कि जिन लोगों के पास सबसे अधिक धन है वही सबसे अधिक लोभी भी हैं और उन्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि उन्हीं के समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भुखमरी के कारण आत्महत्या करने पर विवश है ।

पूंजीवाद इसी असमान आर्थिक व्यवस्था का प्रचारी है और इसी आधार पर समाज का निर्माण करना चाहता है । इस्लाम इसका विरोध करता है और इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता है । इसी कारण इसमें ऐसा प्रावधान है कि धन और सम्पत्ति संचित न होने पाये और इसका प्रवाह सुनिश्चित रहे । ज़कात (अनिवार्य धन-दान), सदक़ात (स्वैच्छिक धन-दान) और विरासत का क़ानून इसी प्रावधान का अंश है ।

(2) यह स्मरण कराना कि समस्त सम्पत्ति का वास्तविक मालिक ईश्वर है

यह समस्त संसार उसी की सम्पत्ति है, जिसने इसकी रचना की है और वही यथार्थ में इसका स्वामी भी है । मनुष्य अनभिज्ञता में अपने आपको अपनी सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी समझ बैठा है और उस पर अपना एकाधिकार समझने लगा है ।

वास्तविकता यह है कि मनुष्य का सम्पत्ति पर अधिकार अस्थायी है और वह मात्र एक प्रतिशासक (Regent) के रूप में है । उसकी मृत्यु के पश्चात उसका यह अधिकार समाप्त हो जाता है और यह उसके वास्तविक स्वामी पर निर्भर करता है कि अब वह अपनी सम्पत्ति का स्वामित्व पुनः किसे प्रदान करता है ।

इस्लामीं विरासत का क़ानून इसी सत्य का स्मरण कराता है । मृतक की सम्पत्ति को किसमें और कितने लोगों में बंटना है यह ईश्वर का अधिकार है और मनुष्य को इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(3) आदमी को संतोष दिलाना की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति विवाद का कारण नहीं बनेगी

जब सम्पत्ति का वितरण ईश्वरीय निर्देशानुसार होगा तो न तो किसी को आपत्ति होगी और न ही सम्पत्ति का विवाद परिवार के विघटन का कारण बनेगा । यह विश्वास जीवन में भी आदमी के संतोष का कारण बनता है और मृत्यु के समय भी उसे बहुत से कष्टों से मुक्ति दिलाता है ।



रमज़ान : एक प्रशिक्षण मास

● संपादन प्रभाग

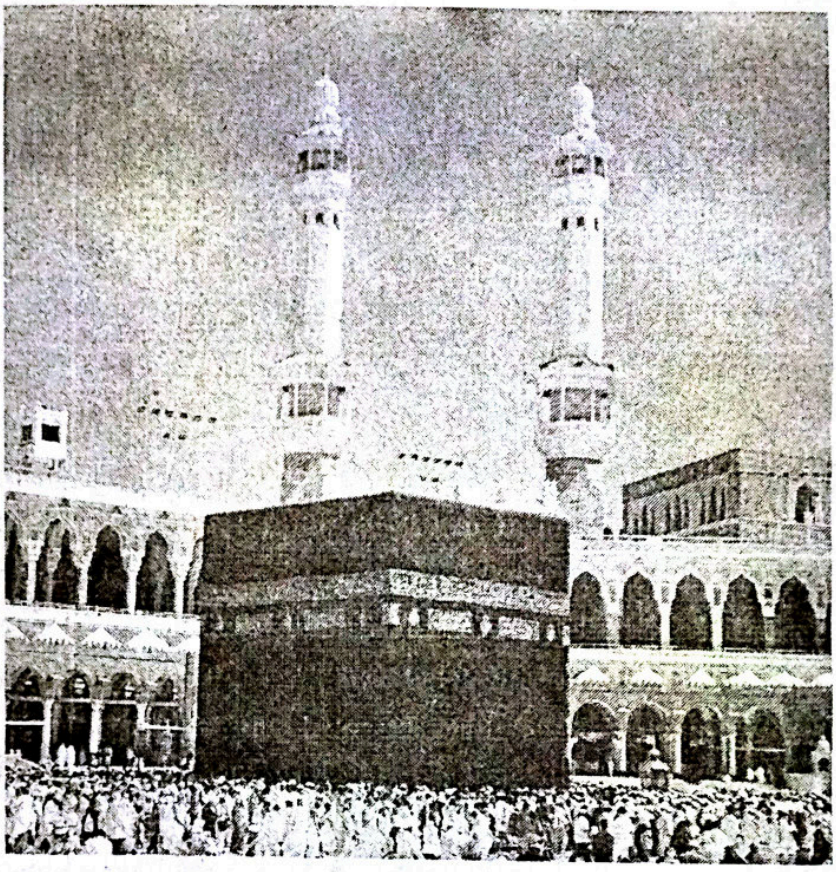

ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मनुष्य उसके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए सदैव से तप और उपवास करता आ रहा है । यही कारण है कि समस्त धर्मों में भक्ति का यह रूप पाया जाता है कि मनुष्य कुछ समय के लिए खान-पान से स्वयं को अलग करके अपने आपको उसकी उपासना में लीन कर देता है । ईसाई हों या यहूदी, हिन्दू हों या पारसी, समस्त धर्मों में यह प्रथा पायी जाती है ।

ईश्वर ने जब इस्लाम को समस्त मानवजाति के लिए मार्गदर्शन बनाकर अपने अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के माध्यम से क़ुरआन के रूप में भेजा, तो उसने मुसलमानों को इस सत्य से अवगत भी कराया कि तुम से पूर्व के लोगों पर भी रोज़े अनिवार्य किये गये थे ।

''ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए रोज़े अनिवार्य कर दिये गये, जिस तरह तुमसे पहले नबियों के अनुयायियों के लिए अनिवार्य किये गये थे । इससे उम्मीद है कि तुममें तक़वा पैदा होगा ।''

(सूरह बक़रा : 183)

अनिवार्यता का उद्देश्य

रोज़ों के अनिवार्य किये जाने का उद्देश्य ''तक़वा'' की प्रवृत्ति को पैदा करना है । तक़वा से तात्पर्य है बुराइयों से बचना । जो लोग एकेश्वरवाद को स्वीकार कर स्वयं को उसी एक शक्तिशाली ईश्वर के समक्ष समर्पित करना चाहते हैं, उनसे आशा की जाती है कि वे स्वयं भी बुराइयों से बचें और समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने का भरसक प्रयत्न करें, चाहे समाज उसका कितना ही विरोध करे ।

रमज़ान एक प्रशिक्षण मास

लोगों के विचार एवं व्यवहार में यह परिवर्तन इतना सरल न था, अत: ईश्वर ने यह आवश्यक समझा कि लोगों के अन्दर इस प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रति वर्ष पूरे एक माह का प्रशिक्षण दिया जाए । उसने अपने सर्वव्यापी ज्ञान के आधार पर प्रशिक्षण के लिए उस माह को चुना, जिसमें क़ुरआन का अवतरण हुआ था और वह था रमज़ान का महीना ।

''रमज़ान वह महीना है जिसमें क़ुरआन उतारा गया जो इन्सानों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य और असत्य का अन्तर खोलकर रख देने वाली है । अत: अब से जो व्यक्ति इस महीने को पाये उसके लिए अनिवार्य है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे...।''

(सूरह बक़रा : 185)

प्रशिक्षण कैसे ?

इस पवित्र महीने के लिए ईश्वर ने एक माह का एक ऐसा कार्यक्रम गठित कर दिया है, जिसके पूरा करने में एक व्यक्ति को काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है ।

(1) पूरे महीने प्रतिदिन प्रात: सूर्योदय से (पौ फटने

रमज़ान और क़ुरआन का अवतरण

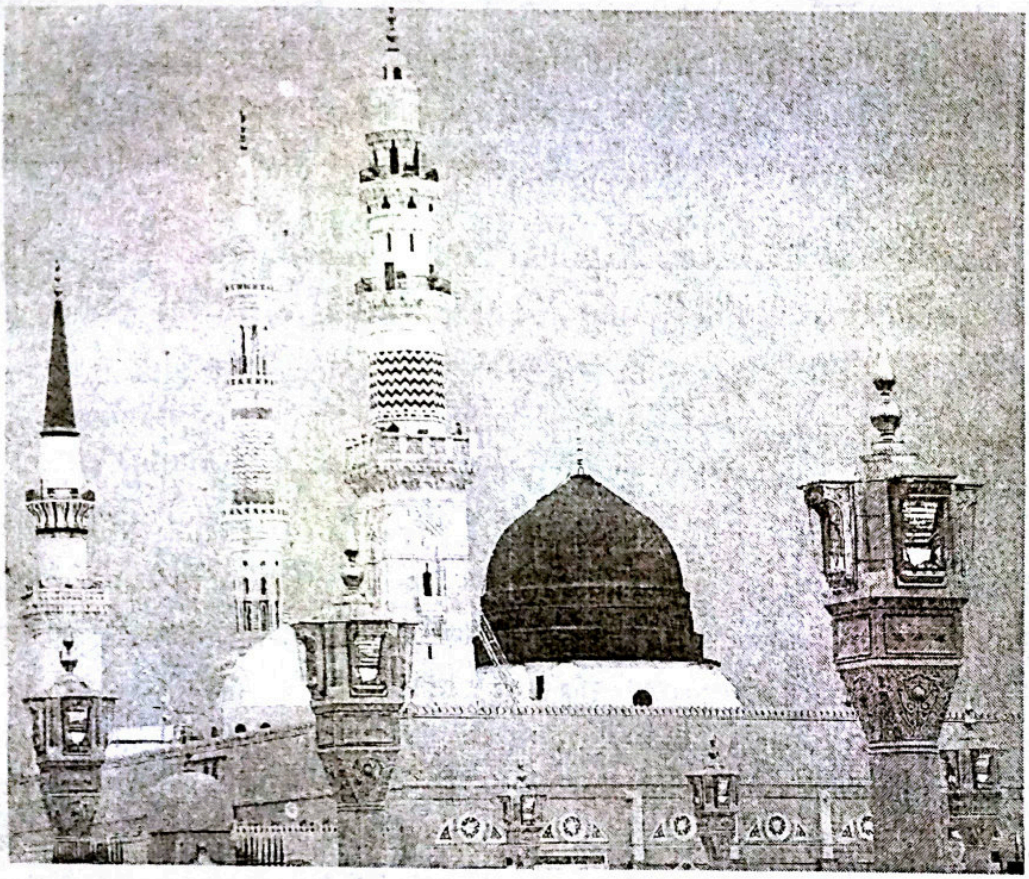

से) पहले उठना और कुछ भोजन ग्रहण करना ।

(2) प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खान-पान और अपनी समस्त इन्द्रियों को अपने वश में रखना । इस अवधि में जल, फल, अन्न एवं हर प्रकार के खाने-पीने की वस्तुओं का प्रयोग करना मना है । इसी को इस्लाम में ''रोज़ा'' कहा जाता है ।

(3) सूर्योदय से पूर्व सामूहिक रूप से ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर उसके द्वारा बताये गये नियम व पद्धति के अनुसार उसकी उपासना (नमाज़ पढ़ना) करना ।

(4) इसी ''रोज़े'' की अवस्था में अपनी समस्त दिनचर्या को पूरा करना । इस्लाम की शिक्षा यह नहीं है कि ईश्वर की उपासना सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्व का त्याग कर ही संभव है । इस्लाम के अनुसार तो इस दायित्व की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयत्न करना भी ईश्वर की उपासना का एक अंग है ।

(5) सूर्यास्त के समय रोज़े की अवधि समाप्त होते ही, सामूहिक रूप से जलपान ग्रहण करना (इफ़्तार करना)। रोज़े की अवधि समाप्त होने के बाद भी जलपान ग्रहण न करना अनुशासन-हीनता है ।

(6) फिर तत्काल सामूहिक रूप से ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर नमाज़ में लीन हो जाना, जिसे मग़रिब की नमाज़ कहते हैं ।

(7) उसके कुछ ही घंटे बाद रात्रि की नमाज़ (इशा की नमाज़) के लिए फिर उपस्थित हो जाना । इशा की नमाज़ के बाद तराबीह की नमाज़ पढ़ी जाती है, जिसमें प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा करके एक माह में पूरा पवित्र क़ुरआन पढ़ा जाता है ।

(8) इसके बाद रात्रि में सोने की अनुमति है, परन्तु ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने हमें प्रेरणा दी है कि हम मध्य रात्रि या उसके कुछ समय बाद उठकर एकांत में अपने ईश्वर के समक्ष तहज्जुद की नमाज़ में खड़े होकर उसके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करें ।

(9) इस अति व्यस्त कार्यक्रम में पांचों नमाज़ों को उनके समय पर पूरा करना है और यदि संभव हो तो पूरे महीने में एक बार क़ुरआन का अध्ययन भी कर लें ।

(10) इस अति व्यस्त एवं कठिन कार्यक्रम में यह भी सम्मिलित है कि अपने पूरे वर्ष की आय एवं समस्त संपत्ति पर ज़कात भी निकाली जाए । इसकी मात्रा ईश्वर ने ही सुनिश्चित की है ।

रमज़ान के इस महीने में ईश्वर हमसे यह भी अपेक्षा करता है कि पूरा समय उसके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे और उनकी अवहेलना (अनादर) से बचने का भरसक प्रयत्न करेंगे और यदि समय के साथ इसमें सुस्ती आती है,

तो अगला रमज़ान हमारे अन्दर नयी शक्ति का संचालन कर हमें फिर तक़वा पर जमा देगा ।

रमज़ान का सामाजिक महत्व

रमज़ान मात्र मुसलमानों के इबादत का महीना नहीं है, बल्कि यह समाज-सुधार का भी एक शक्तिशाली माध्यम है ।

(1) तक़वा : समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार एवं अपराध को रोक पाने के समस्त प्रयत्न की असफलता से, ये सत्य अब उजागर हो गया है कि मात्र पुलिस और क़ानून के बल पर समाज से बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता । इसको समाप्त करने का एक ही रास्ता है और वह है ''तक़वा'' अर्थात लोगों के हृदय में इस भावना को जागृति करना कि वे ईश्वर के सामने उत्तरदायी हैं और इस कारण वे स्वयं अपने आपको समस्त बुराइयों से दूर रखें । रमज़ान इसी भावना को जागृति करने का महीना है ।

(2) ईश्वर से संबंध : ईश्वर से संबंध-विच्छेद (अलग होकर) करके समाज नैतिक पतन का शिकार हो जाता है, जैसा कि वर्तमान समाज में हुआ है । रमज़ान ईश्वर से संबंध सुदृढ़ करने का प्रभावशाली माध्यम है । अत: रमज़ान नैतिक पतन से समाज की रक्षा करता है और समाज के उत्थान में सहायक सिद्ध होता है ।

(3) अनुशासन : अनुशासनहीनता समाज के उत्थान में सबसे बड़ी रुकावट है । रमज़ान लोगों में अनुशासन की भावना पैदा करता है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाता है ।

(4) सामूहिकता : लोगों के समूह का ही दूसरा नाम समाज है । सामूहिकता की भावना जितनी शक्तिशाली और दृढ़ होगी समाज भी उतना ही मज़बूत होगा । व्यक्तिवाद इसके लिए अति हानिकारक है ।

(5) मानव-प्रेम : रमज़ान मानव-प्रेम का महीना है । ईश्वर के प्रति समर्पण लोगों में आपसी प्रेम और सौहार्द एक-दूसरे के काम आने की भावना पैदा करता है ।

(6) सहनशीलता एवं धैर्य : रमज़ान में ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वेच्छा से हलाल चीज़ों को कुछ समय के लिए अपने ऊपर हराम कर लेने से सहनशीलता और धैर्य की भावना उत्पन्न होती है, जो समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए अतिआवश्यक है ।

(7) ग़रीबी उन्मूलन : ग़रीबी समाज के लिए एक अभिशाप है । इसको दूर करने के सभी कार्यक्रम अब तक व्यर्थ सिद्ध हुए हैं । ज़कात ग़रीबी-उन्मूलन का एकमात्र रास्ता एवं विकल्प है । यह एक ईश्वरीय व्यवस्था है जिसमें धनाढ्य वर्ग स्वेच्छा से अपनी आय का एक अंश ग़रीबों को दे देता है और उसके बदले में उससे किसी भी प्रकार के लाभ की आशा तक नहीं रखता । इस ईश्वरीय व्यवस्था को अगर सामूहिकता के साथ सुनियोजित ढंग से लागू किया जाए, तो इसमें इतनी शक्ति है कि यह समाज से ग़रीबी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दे । इतिहास साक्षी है कि ऐसा पहले हो चुका है ।

रमज़ान और क़ुरआन

रमज़ान वह महीना है जिसमें क़ुरआन का अवतरण हुआ, जिसे ईश्वर ने समस्त मानवजाति के मार्गदर्शन के लिए भेजा और जिसके बारे में ईश्वर ने यह भी बता दिया कि क़ुरआन संसार की समस्त चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण हैं :

''ऐ नबी (सल्ल॰), कहो कि ''यह अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दया है कि यह चीज़ उसने भेजी, इस पर तो लोगों को ख़ुशी मनानी चाहिए, यह उन सब चीज़ों से उत्तम है जिन्हें लोग समेट रहे हैं ।''

(सूरह यूनुस : 58)

अर्थात एक प्रकार से रमज़ान क़ुरआन के अवतरण का वार्षिकोत्सव है, जिससे प्रतिवर्ष क़ुरआन से हमारे संबंध का नवजागरण होता रहता है और ईश्वरीय मार्गदर्शन से हमारा संबंध टूटने नहीं पाता ।

ईद का त्योहार वास्तव में क़ुरआन के अवतरण की ख़ुशी मनाने का त्योहार है, जो रमज़ान समाप्त होने के अगले ही दिन मनाया जाता है ।

रमज़ान इस भावना को भी नया जीवन देता है कि क़ुरआन मात्र मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह तो समस्त मानवजाति के लिए है और यह तो पूरे संसार को प्रकाशमय करने आयी है और यह मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे इस ईश्वरीय संदेश को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाए अन्यथा उन्हें ईश्वर के सामने कठोर दंड भुगतना पड़ेगा ।

रमज़ान मास की तीन बड़ी घटनाएं

■ डॉ॰ मुहम्मद दाऊद
(नगीना, उ॰प्र॰)

रमज़ान मास की पहली बड़ी और सबसे बड़ी घटना खुद कुरआन है । कुरआन इसी महीने में उतरा और पूरे 23 साल में पूरा हुआ ।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) हिरा नामक गुफ़ा में जाकर बैठा करते थे । एक दिन जिबरील फ़रिश्ता आया और ईश्वर का यह संदेश दिया कि "पढ़ अपने रब के नाम से जिसने मनुष्य को जमे हुए ख़ून से पैदा किया, पढ़ तेरा रब (स्वामी) बड़ा बुज़ुर्ग है, जिसने क़लम द्वारा सिखाया और इन्सान को वह कुछ सिखाया जो वह नहीं जानता था ।"

आप (सल्ल॰) घबराये हुए घर आये सारा माजरा अपनी पत्नी ख़दीजा को सुनाया । उन्होंने आपको बहुत दिलासा दिया और अपने दूर के रिश्तेदार जो बड़े विद्वान थे उनके पास ले गयीं, जिन्होंने बताया यही फ़रिश्ता हज़रत ईसा (अलैहि॰) के पास भी आया था । ईश्वर ने आपको अपना पैग़म्बर बनाया है और एक दिन आपकी क़ौम आपको अपने यहां से निकाल देगी ।

कुरआन के आने का सिलसिला जारी हो गया । कुरआन कुछ मक्का में उतरा और कुछ मदीना में इस तरह 23 साल में पूरा हुआ और अंतिम आयत भी मक्के ही में रमज़ान ही में उतरी ।

दूसरी बड़ी घटना बद्र की लड़ाई की है । मुसलमान मक्का से हिजरत करके सब कुछ छोड़कर मदीना आ गये थे, पर मक्का वालों ने उन्हें यहां भी चैन से रहने नहीं दिया और लड़ने के लिए मदीने की ओर चल पड़े । बद्र के स्थान पर दोनों फ़ौजों की मुठभेड़ हुई । यह रमज़ान की 17 तारीख़ थी और साल दो हिजरी था । मुसलमानों की कुल तादाद 313 थी और सामने एक हज़ार दुश्मन थे । मुस्लिम फ़ौज में केवल 3 घोड़े और 70 ऊंट थे, जबकि मक्का वालों के पास सौ घोड़े और 700 ऊंट थे पर इससे भी बड़ा मामला मक्के की फ़ौज में अपने रिश्तेदारों का था । कोई किसी का बाप था तो कोई भाई और बेटा । मक्का से निकाले गये इन्हीं लोगों से मदीने की सेना को लड़ना था । बहरहाल लड़ाई हुई और बड़ी घमासान की हुई । मक्का वालों की हार हुई । उनके 70 आदमी मारे गये । इनमें बड़े-बड़े सेनापति थे और 70 ही गिरफ़्तार कर लिये गये । बन्दी बने क़ैदियों को जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया, जो बन्दी पढ़ना-लिखना जानते थे उनको दस-दस बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाने को कहा गया । यह 17 रमज़ान की तारीख़ इस्लामी इतिहास में यौमे फ़ुरकान के नाम से जानी जाती है ।

तीसरी बड़ी घटना 7 रमज़ान की है, जिस दिन मक्का पर विजय प्राप्त हुई । मक्का के लोग बराबर हमले कर रहे थे । हुदैबिया की सुलह के बाद भी वे चैन से न बैठे और जो संधि हुई थी, उसे तोड़ दिया । संधि का फिर प्रयास किया गया, पर समय निकल चुका था । मुसलमानों ने मक्का की तरफ़ कूच शुरू कर दिया । मक्का की फ़ौज के सबसे बड़े अफ़सर अबू सुफ़यान टोह लेने के लिए निकले, पर पकड़े गये और फिर मुसलमान हो गये । मक्का में एक तरफ़ से हज़रत ख़ालिद बढ़े और एक स्थान पर थोड़ी लड़ाई हुई और 12 लोग मारे गये । दूसरी ओर से ख़ुद अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) अपनी टुकड़ी लेकर बढ़े और कोई लड़ाई नहीं हुई । आपने मक्का में दाख़िल होते ही ऐलान कर दिया–

- जो अपना घर बन्द कर ले उसे अमान (शरण) है ।
- जो अबू सुफ़यान के घर में आ जाए उसे अमान है ।
- जो खाना काबा में शरण ले ले उसे अमान है ।
- जो हथियार रख दे उसे भी अमान है ।

केवल छह आदमियों को छोड़कर सबको आम माफ़ी दे दी । आप (सल्ल॰) के बड़े-बड़े दुश्मन आपके सामने हाथ बांधे खड़े थे और अपनी मौत के फ़रमान का इन्तिज़ार कर रहे थे । आपने पूछा, बोला तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए । सब ने कहा आप हमारे बड़े भाई हैं और हम आप से अच्छी ही आशा रखते हैं । आपने फ़रमाया, जाओ आज तुम सब आज़ाद हो, तुम पर कोई क़ैद नहीं ।

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

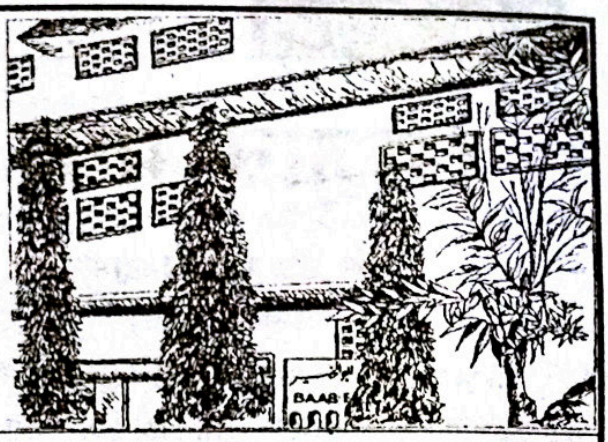

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

संस्था ने अपनी उम्र के 25 वर्ष दिसम्बर 2011 में पूरे कर लिए मगर अब तक माली दुश्वारियों के सबब अपना सिल्वर (Silver Jubilee) भी नहीं मना सका ।

● 25 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा I,A,BA एवं Library Science ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई॰ से 2011 ई॰ तक 66 अनाथ बच्चियों और 41 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 22 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है—आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

-सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,00,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें—"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, ☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONORS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : **इक़बाल अहमद ख़ां**

अश्लील कर्मों से बचने की इस्लामी शिक्षाएं

■ मौलाना सैयद हामिद अली

इस्लाम की एक महत्वपूर्ण और मौलिक शिक्षा शर्म और लज्जा है, लज्जा यह है कि मनुष्य को अश्लील और बुरे कामों से घिन आये । इस्लाम के मूल सिद्धांत बयान करते हुए कुरआन में अल्लाह ने फ़रमाया–

''निस्संदेह अल्लाह न्याय का, एहसान का, रिश्तेदारों के हक़ अदा करने का आदेश देता है और अश्लील कर्म, बुराई और सरकशी से रोकता है । वह तुम्हें सदुपदेश देता है ताकि तुम ध्यान दो ।'' (कुरआन, 16:90)

इस आयत से विदित होता है कि मनुष्य के अन्दर स्वीकारात्मक रूप से तीन मौलिक गुण होने चाहिए–1. न्याय, 2. एहसान और 3. रिश्ते-नाते वालों को हक़ देना और तीन बातें ऐसी हैं, जिनसे उसकी ज़िन्दगी पाक होनी चाहिए–1. अश्लील कर्म, 2. बुराई और 3. सरकशी । प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया–''लज्जा सर्वथा भलाई है ।'' (बुख़ारी, मुस्लिम)

निर्लज्ज व्यक्ति हर बुरा काम कर सकता है । हदीस में है–''पिछले नबियों के कलाम से लोगों ने जो कुछ पाया है, उसमें एक बात यह भी है, जब तुम्हें शर्म नहीं, तो जो चाहे करते फिरो ।'' (बुख़ारी)

व्यभिचार सबसे बड़ी निर्लज्जता की बात है । इस्लाम ने उसे बहुत ही बड़ा गुनाह बतलाया है और उसके लिए कठोरतम सज़ा का प्रावधान भी रखा है ।

कुरआन में है–''व्यभिचार के निकट भी न जाओ निस्संदेह यह एक अश्लील कर्म है और बड़ा ही बुरा रास्ता है ।'' (कुरआन, 17:32)

व्यभिचार के दंड की घोषणा करते हुए अल्लाह ने फ़रमाया–''व्यभिचार करने वाली औरत और व्यभिचार करने वाला मर्द इनमें से हर एक को सौ-सौ कोड़े मारो और अल्लाह के दीन के मामले में तुम्हें उन पर तरस नहीं आना चाहिए, यदि तुम अल्लाह और आख़िरत (परलोक) पर विश्वास रखते हो और उन्हें सज़ा देते समय ईमान वालों का एक गिरोह मौजूद रहे ।'' (कुरआन, 24:2)

इस्लाम ने केवल व्यभिचार ही से नहीं रोका है, बल्कि उसके साथ-साथ उन बातों से भी रोका है जो व्यभिचार को प्रेरणा देती या उसका कारण बनती हैं । उसने काम संबंधी बातचीत, काम वासना से भरी दृष्टि, स्पर्श और काम-वासना संबंधी बातों की तरफ़ जाने को व्यभिचार ही में गिना है । हदीस में है–''आंखों का व्यभिचार बुरी नज़र है, कानों का व्यभिचार (काम वासना से) सुनना है । ज़ुबान का व्यभिचार (काम वासना संबंधी) बातचीत करना है । हाथ का व्यभिचार (काम वासना के लिए) हाथ बढ़ाना है । पैर का व्यभिचार (काम संबंधी) बातों की ओर चलना है । दिल चाहता और कामना करता है और शर्मगाह या तो उसकी पुष्टि कर देती है या उसे झुठला देती है ।'' (मुस्लिम)

''जो लोग (पाकदामन) स्त्रियों पर (व्यभिचार की) तोहमत लगाएं फिर चार गवाह न लाएं तो उन्हें अस्सी कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी स्वीकार न करो, ये ही लोग अवज्ञाकारी हैं ।'' (कुरआन, 24:4)

प्यारे नबी (सल्ल॰) ने घातक गुनाहों का उल्लेख करते हुए फ़रमाया–''सात घातक गुनाहों से बचो । सहाबा (रज़ि॰) ने पूछा, हे अल्लाह के रसूल ! वे गुनाह कौन से हैं ? आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया–1. अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, 2. जादू करना, 3. किसी को क़त्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम किया है, यह और बात है कि हक़ का यही तक़ाज़ा हो, 4. ब्याज खाना, 5. अनाथ व यतीम का माल हड़प करना, 6. युद्ध के समय पीठ फेर कर भागना, 7. पाकदामन व सतवंती, ईमान वाली भोली-भाली स्त्रियों पर व्यभिचार की तोहमत लगाना ।'' (बुख़ारी, मुस्लिम)

कुछ अपराध ऐसे हैं जो ईमान के साथ एकत्र नहीं हो सकते । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का कथन है–''व्यभिचार करने वाला जब व्यभिचार करता है तो ईमान की दशा में व्यभिचार नहीं करता, चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो ईमान की दशा में चोरी नहीं करता और जब शराब पीता है तो ईमान की हालत में शराब नहीं पीता और जब लूटमार करता है, जबकि लोगों की निगाहें उसकी ओर उठती हैं तो वह ईमान की दशा में लूटमार नहीं करता और जब तुममें से कोई व्यक्ति कपट करता है तो ईमान की दशा में कपट नहीं

करता । तुम इन सब गुनाहों से दूर भागो और इब्ने अब्बास (रज़ि॰) की रिवायत में है कि और जब वह क़त्ल करता है तो ईमान की हालत में नहीं करता ।'' (बुख़ारी, मुस्लिम)

इस हदीस का आशय यह है कि इस तरह के अपराध ईमान के बिल्कुल प्रतिकूल हैं, मोमिन की ज़िन्दगी को इनसे बिल्कुल पाक होना चाहिए । अगर ग़लती से कोई अपराध हो जाए, तो तौबा (पश्चाताप) करके अपने ईमान की रक्षा करनी चाहिए । हया और लज्जा के साथ-साथ इस्लाम एक अन्य महत्वपूर्ण और मौलिक शिक्षा नम्रता है । क़ुरआन मजीद इसके बारे में अल्लाह फ़रमाता है–''फिर जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, तो सब झुक गये, मगर इबलीस ने इन्कार किया । वह अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और अवज्ञाकारियों में शामिल हो गया ।'' (क़ुरआन, 2:34)

अर्थात शैतान ने ख़ुदा का हुक्म (आदेश) नहीं माना, वह आदम के आगे नहीं झुका, क्योंकि वह अपने आपको आदम (अलैहि॰) से बड़ा समझता था, उस ने घमंड और अहंकार का रास्ता अपनाया और इस प्रकार अधर्मी हो कर रहा ।

जो बात शैतान की गुमराही के सिलसिले में कही गयी है, वही बात हर ज़माने के उन सभी लोगों के लिए है जो सत्य को झुठलाते हैं । वास्तव में सत्य के इन्कार करने में वही लोग आगे-आगे रहे जो धन और सत्ता के नशे में चूर थे । उन्होंने इस बात में अपना अपमान समझा कि वे अल्लाह के सामने झुकें और उसके रसूल का आज्ञानुपालन करें । क़ुरआन मजीद में अहंकार को बहुत निंदित ठहराया गया है । सूरह आराफ़ में है–''जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनके मुक़ाबले में अकड़ दिखायी ऐसे लोग नरक वाले हैं, वे इसमें हमेशा रहेंगे ।'' (क़ुरआन, 7:36)

नबियों के संदेश को जो असहाय और निर्धन लोग स्वीकार करते थे, उन्हें ये अहंकारी घृणा की दृष्टि से देखते और कहते इन हीन व्यक्तियों को अपने पास से हटाओ तब हम आएंगे । इस सिलसिले में क़ुरआन ने कहा–

''लोग लोग सुबह-शाम अपने रब को उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पुकारते हैं, उन्हें अपने पास से न हटाना ।'' (क़ुरआन, 6:52)

जिसके पास अल्लाह की बन्दगी और उसकी प्रसन्नता की दौलत हो, उसे किसी और दौलत की क्या आवश्यकता है । उसके लिए यही सम्मान काफ़ी है, ऐसा व्यक्ति रसूल के संग रहने का अधिकारी है ।

ख़ुदा और उसके बन्दों के मुक़ाबले में घमंड दिखाना बहुत ख़तरनाक बीमारी है और अनेकों बुराइयों की जड़ है, यह इन्सान की दुनिया और आख़िरत दोनों को तबाह करने वाली है । प्यारे नबी (सल्ल॰) का कथन है–''जिस व्यक्ति के हृदय में तनिक भी अहंकार होगा वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकेगा । इस पर एक व्यक्ति ने कहा कि मनुष्य चाहता है कि उसके कपड़े सुन्दर हों, जूते अच्छे हों (क्या यह अहंकार है ?) आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, अल्लाह स्वयं जमील (सुन्दर) है, सुन्दरता को पसन्द करता है । अहंकार तो यह है कि कोई सत्य के मुक़ाबले में दुस्साहस दिखाये और लोगों को हीन समझे ।'' (मुस्लिम)

एक अन्य हदीस में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–''अल्लाह फ़रमाता है, 'गर्व मेरी चादर है और बड़ाई मेरा नीचे का परिधान, तो जिन किसी ने इनमें से किसी को मुझ से छीनना चाहा, मैं उसे नरक में फेंक दूंगा ।'' (मुस्लिम)

गर्व और बड़ाई अल्लाह ही के लिए है । मनुष्य की, जो अपनी ज़िन्दगी और अपनी हर ज़रूरत के लिए अल्लाह पर आश्रित है, गर्व शोभा नहीं देता । अल्लाह के मुक़ाबले में अभिमान करना बन्दगी की सीमाओं का उल्लंघन करना है और इसी तरह मनुष्यों में अभिमान मानवता के स्तर से गिरना है । मोमिन न तो अल्लाह के मुक़ाबले में अकड़ता है और न बन्दों के सामने, वह इस बात को अच्छी तरह जानता है कि वास्तव में वह ख़ाली हाथ और बिल्कुल बेबस है । उसके पास जो कुछ है वह अल्लाह का है और अल्लाह जब चाहे ये चीज़ें उससे छीन भी सकता है । अल्लाह की दी हुई इन नेमतों को पाकर अभिमान और घमंड करने का उसे कोई औचित्य नहीं । ये चीज़ें तो केवल परीक्षा के लिए उसे दी गयी हैं, अगर वह अहंकार और घमंड का मार्ग अपनाएगा तो वह अल्लाह की यातनाओं का अधिकारी होगा जो उसकी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला देंगी ।

मोमिन का हाल तो यह होता है कि उसे जितना अधिक दौलत और अधिकार प्राप्त होता है वह उतना ही अधिक अल्लाह के आगे झुकता है और मनुष्यों के साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है । उसका व्यवहार दिखावे का नहीं बल्कि वास्तविक होता है । इससे वह अल्लाह और मनुष्यों की नज़र में उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है । प्यारे नबी (सल्ल॰) का कथन है–''सदक़ा करने से माल कम नहीं होता । क्षमा करने से अल्लाह बन्दे की इज़्ज़त ही बढ़ाता है और जो अल्लाह के लिए नम्र होता है, अल्लाह उसे उच्च स्थान प्रदान करता है ।'' (मुस्लिम)

झूठे मामले, झूठे सबूत

❖ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

पीपुल्स विजलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (PVCHR) के महासचिव डॉ॰ लेनिन रघुवंशी ने उ॰प्र॰ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम आतंकवाद की आड़ में गिरफ़्तार किये गये मुसलमानों की अविलंब रिहाई की मांग को लेकर जो पत्र लिखा है, वह इन्तिहाई महत्वपूर्ण, सामयिक और ध्यातव्य है ।

19 अप्रैल 2012 को भेजे गये इस पत्र में डॉ॰ रघुवंशी ने आतंकवाद के नाम पर शाबासी व ईनाम पाने एवं सोची-समझी रणनीति के तहत 12 दिसम्बर 2007 को तारिक़ क़ासिमी और ख़ालिद मुजाहिद की अवैध रूप से गिरफ़्तारी करने का मामला प्रमुख रूप से उठाया है ।

पत्र में कहा गया है कि उ॰प्र॰ के आज़मगढ़ और जौनपुर ज़िलों में आतंकवाद के नाम पर कचहरी सीरियल बम कांड में उ॰प्र॰ एस॰टी॰एफ॰ द्वारा अपने पदेन उत्तरदायित्व को पूरा न करके ग़ैर-ज़िम्मेदाराना तरीक़े से एक सोची-समझी रणनीति के तहत आज़मगढ़ के तारिक़ क़ासिमी और जौनपुर के ख़ालिद मुजाहिद को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने डेटोनेटर, आर॰डी॰एक्स॰ के साथ गिरफ़्तारी दिखायी गयी थी ।

वास्तविकता यह है कि कचहरी सीरियल बम विस्फोट कांड में फ़ैज़ाबाद ज़िले में अधिवक्ता समेत कई लोग मारे गये थे । इस गंभीर घटना का खुलासा करने में एस॰टी॰एफ॰ नाकाम रही, तो उसने अपना पीछा छुड़ाने, शाबासी व ईनाम एवं प्रोन्नति पाने के लिए सोची-समझी रणनीति के तहत 12 दिसम्बर 2007 को आज़मगढ़ के रानी की सराय थाना-क्षेत्र से तारिक़ क़ासिमी को उठा लिया, जिसका प्रमुख प्रमाण यह है कि वहां आने वाले प्राय: सभी दैनिक अख़बारों ने इस घटना को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था ।

तारिक़ क़ासिमी के दादा ने एस॰टी॰एफ़॰ की इस ग़ैर-क़ानूनी हरकत की लिखित सूचना 14 दिसम्बर 2007 को रानी की सराय थाने को दी, किन्तु एस॰टी॰एफ़॰ ने पहले से गिरफ़्तार तारिक़ क़ासिमी की गिरफ़्तारी बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने फ़र्ज़ी मुठभेड़ में असलहों के साथ दिखायी ।

डॉ॰ लेनिन रघुवंशी ने कहा है कि जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र से ख़ालिद मुजाहिद को एस॰टी॰एफ़॰ ने 16 दिसम्बर 2007 को उठा लिया था । इसकी पुष्टि सूचनाधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी सूचना में जन सूचना अधिकारी/क्षेत्राधिकारी (पुलिस), मड़ियाहूं ने अपने जवाब में की है । डॉ॰ रघुवंशी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में लिखा है कि बरामद डेटोनेटर और आर॰डी॰एक्स॰ की बात भी झूठी है ।

इसका प्रमाण यह है कि पुलिस-विवरण के अनुसार उक्त दोनों नवजवानों के मोबाइल को 12 दिसम्बर 2007 को सुबह 9 बजे बंद करके सीलबंदी के साथ ज़ब्त कर लिया गया था, किन्तु ए॰टी॰एफ॰ के विवेचना अधिकारी ने जो कॉल डिटेल्स दाख़िल की है, उनमें ख़ालिद मुजाहिद के

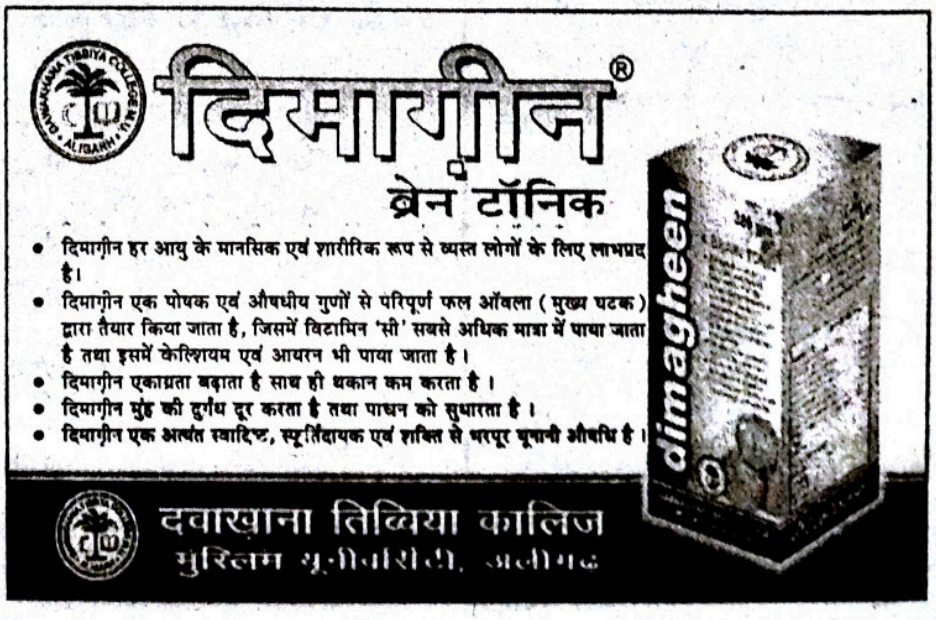

पास से बरामद मोबाइल पर 22 दिसम्बर, 12 को 11 बजकर 49 मिनट पर दिन में एस०एम०एस० आया था, जिससे साबित होता है कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने कोई बरामदगी नहीं हुई ।

डॉ० रघुवंशी ने यह भी लिखा है कि तारिक़ क़ासिमी और ख़ालिद मुजाहिद के पास से बरामद मोबाइल एवं कपड़ों को एस०टी०एफ़० द्वारा नये मारकीन के कपड़े ख़रीदकर सर्वमोहर करना बताया गया था, जबकि अदालत के सामने जब दोनों सीलबंद पैकेटों को चिरंजीवनाथ सिन्हा (सी०ओ०) की गवाही के समय खोला गया, तो पुरानी चादर के दो भाग करके माल सर्वमोहर होना पाया गया, जिससे यह साबित होता है कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने कोई बरामदगी और लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी । पीपुल्स विजलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के अनुसार, लखनऊ में एस०टी०एफ़० द्वारा फ़र्द बरामदगी में साइकिल बरामद करना बताया गया, लेकिन फ़र्द बरामदगी में साइकिल का फ्रेम नम्बर और विवेचना में साइकिल की रसीद में दिये गये फ्रेम नम्बर अलग-अलग हैं ।

डॉ० रघुवंशी ने साफ़ तौर पर लिखा है कि पुलिस ने असलहों की जो बरामदगी दिखायी है, उसे अमलन कहीं पेश नहीं किया है । सिर्फ़ काग़ज़ों में ही डिस्पोज़ल किया गया । उ०प्र० एस०टी०एफ० ने उक्त दोनों नवजवानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई उनके इक़बालिया बयानों के आधार पर की थी, लेकिन इन बयानों को पुलिस ने अपने मन से लिखा था । दोनों नवजवानों ने कोई इक़बालिया बयान नहीं दिया और न ही इस सिलसिले में पुलिस ने अदालत में कोई प्रार्थना-पत्र दिया ।

डॉ० रघुवंशी ने अपने पत्र में यह सच बात भी लिखी है कि उ०प्र० के तत्कालीन पुलिस प्रमुख विक्रम सिंह और एस०टी०एफ़० इंचार्ज बृजलाल ने योजनाबद्ध तरीक़े से मुस्लिम नवजवानों को आतंकी घटनाओं में निरुद्ध किया था । जनता के दबाव में राज्य सरकार ने आर०डी० निमेष कमीशन भी बनाया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है ।

डॉ० रघुवंशी ने मांग की है कि इन फ़र्ज़ी मुक़दमों को अविलंब वापस किया जाए ताकि जनता में क़ानून के शासन के प्रति विश्वास बहाल हो सके । साथ ही पुलिस में मौजूद उन तत्वों की छानबीन की भी अति आवश्यक है, जो लोगों को फ़र्ज़ी मुक़दमों में निरुद्ध करते हैं । डॉ० रघुवंशी का मानना है कि अगर पुलिस ईमानदारी के साथ काम करती तो सीरियल बम कांड के अस्ली मुजरिम पकड़े जाते ।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सभी मुल्ज़िमान को तत्काल रिहा करें और उन्हें उचित मुआवज़ा दें । दोषी अधिकारियों को दंडित भी करें और इस कांड की पुनः जांच करवा कर अस्ल दोषियों व अपराधियों को गिरफ़्तार करके मुक़दमा चलाया जाए ।

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

I. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.

2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.

3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.

4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda)
Chairman

(Prof. M. B. Zaman)
Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

भाभी

❑ इक़बाल अंसारी

भाभी अपने मायके गयी हुई थीं । अब्बा ने मुझे सुबह साढ़े सात बजे भाभी के पास भेजा और जल्दी वापस आने की ताकीद की । यह भी कहा कि मैं ऐसे रास्ते से जाऊं जिस पर हमारे दोस्तों के घर न हों । हमने स्कूटर निकाला और पन्द्रह मिनट में भाभी के पास पहुंच गया ।

भाभी हमें देखते ही खिल गयीं और हमारा कान मरोड़ते हुए घूर कर बोलीं–"अब अगर तुमने यह कह दिया कि नाश्ता करके आये हो तो अच्छा न होगा !"

हमने कहा कि, "अगर अच्छे क़िस्म के नाश्ते की सूचना मिले तो हम खुद को यह कहने पर तैयार कर लेंगे कि हमने अभी नाश्ता नहीं किया है ।"

भाभी मुंह सुखा कर बोलीं, "चलो अब तुम नाश्ता करके ही आये हो तो मैं ज़िद नहीं करूंगी । वैसे भी नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं है...बस मुर्ग़ का गोश्त, पनीर के कुल्चे और शामी कबाब ही हैं ।"

"अरे हमने कई दिन से नाश्ता नहीं किया है", हमने जल्दी से कहा । "वैसे नाश्ते की सूचना देने के बजाय आपको नाश्ता ही परोसना चाहिए था ।"

भाभी हंसती हुई किचन में चली गयीं ।

हम घर लौट कर आये साढ़े नौ बजे, अब्बा बहुत गुस्से में मिले । इससे पहले कि हम कुछ कहते उन्होंने घड़ी की ओर देखा और हमारी ख़बर लेनी शुरू कर दी । "दो घंटे !...पन्द्रह मिनट जाने के और पन्द्रह मिनट आने के, पांच मिनट दुल्हन के घर पर सलाम, कलाम और काम के–कुल मिलाकर हुए 35 मिनट, इस हिसाब से आपको एक घंटा 25 मिनट पहले आ चुका होना चाहिए था । अब जल्दी से वह बहाना बयान कीजिए जो आप इस बारे में सोच् कर आये हैं । मेरे ख़याल से आपके स्कूटर का कलच वायर टूट गया होगा ?"

हमने कहा, "जी नहीं, भाभी ने ज़बरदस्ती नाश्ते पर बिठा लिया था, हमने बहुत कहा कि हम नाश्ता करके आये हैं मगर वे मानी नहीं ।"

अब्बा बोले, नाश्ता यक़ीनन मज़ेदार रहा होगा, लेकिन एक घंटा 25 मिनट का नाश्ता मुझ से तो हज़म नहीं हो रहा है । इसलिए सोचकर कोई और बहाना बनाइए ।" हमें बहाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सच-सच बता दिया कि "अभी नाश्ता शुरू भी नहीं हुआ था कि भाभी जान को किसी का फ़ोन आ गया ।" यह घटना अब से 38 वर्ष पहले की है उस ज़माने में दिल्ली में भी मिड्ल क्लास में कम ही लोगों के पास फ़ोन था । फ़ोन होना गौरव की बात समझी जाती थी और फ़ोन पर देर तक बात करना उससे भी अधिक गौरव की । हमारी भाभी को अपने गौरव का कुछ ज़्यादा ही ख़याल रहता था ।

अब्बा हमारा जवाब सुनकर ख़ामोश हो गये, शायद उन्हें भाभी की आदत का पता था । उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्हें यक़ीन हो गया था कि हमने जो कुछ कहा है वह बहाना नहीं है ।

यहां हम कुछ बातों का उल्लेख करते हैं जिससे भाभी के व्यक्तित्व और स्वभाव पर रोशनी पड़ती है । सेब मुझे बहुत पसन्द है, एक बार जब सेब का सीज़न नहीं था और हिमपात के कारण शिमला और कश्मीर दोनों के रास्ते बन्द थे । हमारा छोटा भाई अभी हाल ही में टाइफाइड से उठा था । अम्मा ने बड़ी मुश्किल से उसके लिए चंडीगढ़ से कुछ सेब मंगवाये थे और सिर्फ़ उसे ही खिलाती थीं । दो दिनों तक तो हमने सेब को केवल घूरने पर बस किया, मगर तीसरे दिन एक सेब पार कर दिया और छत पर जाकर चुपके-चुपके छिलकों के साथ खा गया । जब अम्मा ने एक सेब कम देखा तो ज़ोर से बोलीं–"एक सेब कहां गया ?" तुरंत ही मेरे मुंह से निकला, "हमने नहीं खाया ।"

अम्मा शुरू हो गयीं बेशर्म, बेग़ैरत, बीमार के लिए हमने चंडीगढ़ से किसी तरह मंगवाया है । मना किया हुआ है कि कोई नहीं खाएगा मगर बेशर्मी की हद है, चुरा कर खा गय बदबख़्त ।"

भाभी बीच में बोल पड़ी, "अम्मा पहली बात तो यह कि बदबख़्त सेब नहीं खाते धक्के खाते हैं । दूसरी बात यह

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्वाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अंग्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ समोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्वाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

- मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर
- जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना
- लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर
- टेक्निकल सेन्टर का क़याम
- होस्टल की तामीर
- अनाथालय की तामीर
- फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अहले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्वाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09670641947, 09451097177

जामिया का बैंक खाता नं॰

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

A/c No. F.C.R. CD-149 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बेवॉ चौराहा

कि घर में सेब की चोरी कोई चोरी नहीं है, यह तो बड़ी समझदारी का काम है, सेब से सेहत बनती है ।''

''तुम चुप रहो दुल्हन, सेब की चोरी चोरी नहीं तो क्या साहूकारी होती है ? आज घर में सेब चुराया कल बाहर जाकर बैंक लूटेगा ।'' अम्मा भाभी पर ही उलट पड़ी ।

''हरगिज़ नहीं'', भाभी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, इक़बाल बैंक नहीं लूट सकता ।''

अम्मा गुस्से में बोलीं, ''क्यों नहीं लूट सकता ?''

भाभी ने गंभीरता से कहा, ''जब तक उसके बॉलेज की छुट्टी होती है, बैंक बन्द हो चुके होते हैं ।''

गुस्से के बावजूद अम्मा हंस पड़ीं ।

एक बार रियाज़ भाई और भाभी में किसी बात पर झगड़ा हो गया और बोल-चाल बन्द हो गयी । भाई अपने काम की साइट से रात 11 बजे लौटे, काम ज़्यादा था उन्हें सुबह जल्दी ही साइट पर पहुंचना भी था । अलार्म घड़ी ख़राब थी और भाभी से बातचीत बन्द थी । उन्होंने एक काग़ज़ पर लिखा मुझे सुबह 6 बजे जगा देना और उसे भाभी के तकिये पर रखकर सो गये ।

सुबह आंख खुली तो 8 बज रहे थे । गुस्से में भाभी को घूर कर देखा । भाभी ने उनके तकिये की ओर इशारा किया, तकिये पर एक काग़ज़ रखा था जिस पर लिखा था उठिये 6 बज चुके हैं ।

इस शरारत के बाद भाभी के साथ क्या हुआ यह उन्होंने किसी को नहीं बताया, मगर हम जानते थे ।

हंसमुख स्वभाव भाभी के व्यक्तित्व का सबसे मज़बूत पहलू था । शादी से पहले यह उनका स्वभाव था और शादी के बाद उनकी मजबूरी । वे अपना हर दुख-दर्द बड़ी दक्षता से हंसी में छिपा जाती थीं ।

सर्दी की एक रात थी । ड्राइंग रूम में हीटर जल रहा था । सेन्टर टेबल पर मूंगफलियां रखी थीं । रियाज़ भाई, हम, भाभी, हमारे एक कज़िन जमाल भाई, उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के भाई ज़फ़र साहब, बैठे बातें कर रहे थे । रात का खाना हो चुका था, मूंगफलियों का दौर चल रहा था । कुछ देर बाद बातचीत पति-पत्नी के संबंध पर आ गयी । भाभी हाज़िर जवाबी और अपने हंसमुख स्वभाव के कारण हर महफ़िल में लोगों के ध्यान का केन्द्र बन जाती थीं । अचानक ज़फ़र भाई ने उन्हें संबोधित करके पूछा, ''आप किसे एक सफल पति कहेंगी ?''

भाभी ने तुरंत कहा, जो इतना पैसा कमाने की योग्यता रखता हो जितना उसकी पत्नी ख़र्च न कर सके ।''

ज़फ़र भाई का अगला सवाल था और आप एक सफल पत्नी किसे कहेंगी ?''

भाभी ने बड़ी सादगी से कहा, ''जो ऐसा पति तलाश करने की योग्यता रखती हो ।'' इससे पहले कि आप अगला सवाल करें मैं आपको बता दूं कि दुनिया में आज तक कोई सफल पति नहीं हुआ है ।''

सब लोग हंस पड़े । हमने कहा, ''तो इसका मतलब यह है कि हर पति नालायक़ होता है ?''

भाभी ने कहा, ''हां...तुम्हारे रियाज़ भाई के अलावा'' सब लोग फ़िर हंस पड़े । जब हंसी थम गयी तो भाभी बोलीं, ''अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब तक नालायक़ होने से बचे हुए हो, लेकिन बहुत दिनों तक बचे नहीं रहोगे । जल्दी ही इस घटना से गुज़रने के लिए ख़ुद को तैयार करना शुरू कर दो ।''

जमाल भाई ने बात पकड़ ली, ''तो आपके ख़याल में शादी एक घटना है ?''

भाभी ने कहा, बिल्कुल...शादी पुरुष के लिए एक घटना ही है, क्योंकि उस दिन वह अपनी बैचलर डिग्री खो देता है, हां महिला के लिए शादी एक उपहार है, क्योंकि उस दिन उसे मास्टर्स डिग्री प्राप्त हो जाती है ।''

हमारे अलावा सारे लोग हंसने लगे । हमारे अन्दर एक दर्द-सा चुभने लगा । भाभी की शादी तो हो गयी थी, मगर उन्हें मास्टर्स डिग्री हासिल नहीं हुई थी, रियाज़ भाई उनके मास्टर थे और चूंकि भाभी बड़ी साधारण शक्ल व सूरत की थीं इसलिए रियाज़ भाई कुछ ज़्यादा ही मास्टर बने रहते थे ।

पहले तो हमें कभी-कभी महसूस होता था मगर धीरे-धीरे ज़्यादा महसूस होने लगा कि भाभी ज़बरदस्ती हंस रही हैं । एक बार हमने कहा भाभी आपको ऐसा नहीं लगता कि क़ुदरत के कुछ फ़ैसले बड़े अजीब होते हैं ?''

उन्होंने बड़ी गंभीरता से मुस्कराते हुए जवाब दिया, ''प्यारे दोस्त क़ुदरत के फ़ैसले अजीब नहीं होते, हमारी सोच, हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें अजीब होती हैं, इसलिए वे क़ुदरत के फ़ैसले से मेल नहीं खातीं । बेहतर यही है कि क़ुदरत के फ़ैसलों को स्वीकार कर लिया जाए, इसी में हमारी भलाई है ।

अम्मा की मौत हुई, भाभी ने तीन दिन से ज़्यादा दुखी नहीं रहने दिया । वे पहले ही पूरे घर में फैली हुई थी अम्मा के बाद और ज़्यादा फैल गयीं । सत्रह दिन बाद अब्बा की मौत हो गयी । इस बार घर के दुख को समाप्त करने में भाभी को काफ़ी दिक़्क़त हुई । यह घटना कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी । हमें बहुत ज़्यादा ख़ालीपन का एहसास हुआ । वे हमें समझते थे हम उनके विशेष ध्यान के केन्द्र थे । साहित्य में हमारी रुचि अब्बा के कारण ही थी । वे हमारे मार्गदर्शक भी थे और मित्र भी । इसलिए उनकी मौत हमारे लिए बड़ी घटना थी ।

भाभी ये सब जानती थीं इसलिए उन्होंने हमारे जीवन की इस खाई को भरने में जी-जान लगा दिया । किसी न किसी तरह उन्होंने हमें एक महीने में नार्मल कर लिया । अम्मा हमारी शादी अपनी एक रिश्ते की बहन की बेटी रिफ़अत से तय कर गयी थीं । यह वह ज़माना था जब शादी-विवाह के लिए लड़के-लड़की की पसन्द-नापसन्द कोई नहीं पूछता था ।

हमने रिफ़अत को कई बार देखा था । वह हमें न पसन्द थी न नापसन्द । हमारी शादी हो गयी । रिफ़अत ने गणित में एम०ए० करने के बाद बी०एड० किया था और एक स्कूल में गणित की पी०जी०टी० हो गयी थीं । हम एक कॉलेज में अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ाते थे ।

भाभी ने बड़ी मेहनत की कि रिफ़अत हमारे लिए और हम रिफ़अत के लिए अनुकूल हो जाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि न रिफ़अत हमारे लिए अनुकूल हो सकीं और न हम उनके लिए अनुकूल हो सके । वे गणित की प्रशंसक हम साहित्य के आदमी । हम बहुत ही हंसोड़ वे बहुत ही गंभीर । हमें बात-बात पर क़हक़हा लगाने की आदत, उन्हें मुस्कराने में भी संकोच ।

रियाज़ भाई को दौलत कमाने और अय्याशी करने की धुन थी । बेहतरीन मैकेनिकल इंजीनियर थे और बहुत मेहनती थे । उन्हें कनाडा में बड़ी ऊंची सैलरी पर एक जॉब मिल गयी । उनके अलावा घर में किसी को ख़ुशी नहीं हुई । उनसे कुछ कहने सेभी कोई फ़ायदा नहीं था, फिर भी भाभी ने बड़ी गंभीरता और बड़ी उदासी से कहा, "जितना आप कमाते हैं, मुझ से उतना ही ख़र्च नहीं होता, कनाडा की कमाई का मैं क्या करूंगी । मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप मत जाइए, कनाडा बहुत दूर है ।"

रियाज़ भाई पर कोई असर नहीं हुआ वे अगले साल आकर भाभी को ले जाने का वादा करके कनाडा चले गये । भाभी पर और भी अकेलापन छा गया । वे एकदम अकेली हो गयीं । हम दिन-ब-दिन उनके व्यक्तित्व को बुझता हुआ देखते रहे ।

जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गयी तो हम उन्हें अस्पताल ले गये । जांच करने के बाद डॉक्टर ने एक फार्म बढ़ाया और कहा या तो इस फार्म पर हस्ताक्षर करके रोगी को ओ०टी० में ले जाने की अनुमति दीजिए या इन्हें तुरंत यहां से ले जाइए । हमने हस्ताक्षर कर दिया ।

भाभी को स्ट्रेचर के साथ हम भी आगे बढ़े । ओ०टी० के दरवाज़े पर भाभी ने अपना हाथ बढ़ाकर हमारा हाथ पकड़ लिया । एक क्षण हमारी आंखों में देखा और डूबती आवाज़ में बोलीं, "रिफ़अत के अपने भीतर बसाने की कोशिश करते रहना और हमें भूलने की ।"

ये दोनों कोशिशें आज 32 वर्ष बाद भी जारी हैं ।

क़ुरआन की पहली सूरः
अल-फ़ातिहा और अंतिम 30 सूरः

(क़ुरआन फ़ाउंडेशन, इंडिया की पेशकश)

दावती महत्व की यह किताब सैयद मंसूर आग़ा ने प्रो० डॉ० इरफ़ान अहमद ख़ान (यू०एस०ए०) की बहुचर्चित पुस्तकों 'इनसाइट इनटू क़ुरआन' और 'लास्ट थर्टी सूरः ऑफ़ क़ुरआन' से संकलित व अनुवादित की है । क़ुरआन की प्रमुख धारणाओं, पारिभाषिक शब्दों और क़समों पर चर्चा ख़ास महत्व की है । 'सूरः फ़ातिहा' के अध्ययन से क़ुरआन को समझने की राह खुलती है । सुबोध एवं रोचक शैली, दिलकश गेटअप, उम्दा छपाई व काग़ज़ ।

पेज 208, मूल्य केवल 100 रुपये

MMI Publishers, A.F. Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25
Islamic Book Foundation, 1781, Hauz Suiwalan, N.Delhi-02

(syyedmansooragha@gmail.com)

रहिमन पानी राखिए...

■ मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दुनिया में अगली जंग पानी के लिए होगी । आज स्वच्छ पानी की अनुपलब्धता, पानी का गिरता स्तर, पिघलते हिमखंड, सूखती नदियों की स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि यदि हम समय रहते नहीं चेते तो कल बहुत देर हो जाएगी । राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पानी के भीषण अकाल हमें भविष्य की चेतावनी देते हैं । मई 2012 में रंगीनखापा (छिन्दवाड़ा) में राज्य सरकार ने 45 तालाबों के निर्माण का एलान किया । सरकार ने ज़िले में गिरते जल स्तर को रोकने और वर्षा जल संचय के जागरूकता अभियान चलाने का एलान किया ।

देश में बढ़ते शहरीकरण, वर्षा जल संचय की कमी, उद्योगों के कारण भूजल का दोहन बढ़ा है । इससे भूमिगत जल स्तर तेज़ी से नीचे गिर रहा है । यह समस्या चट्टानी क्षेत्रों में ज़्यादा है । ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल में क्षारीय तत्व पाये जाते हैं ।

देश में प्रति वर्ष 4000 अरब घनमीटर बारिश होती है । देश का आंतरिक पुनर्भरण जल संसाधन क़रीब 1953 अरब घनमीटर वार्षिक है । भूमिगत जल का दोहन मुख्य रूप से सिंचाई, घरेलू और सार्वजनिक उपयोग, उद्योग, बिजली उत्पादन आदि के लिए होता है । यही कारण है कि भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ रही है । विशेषज्ञों का मानना है कि गिरते जल स्तर के कारण ऊर्जा की खपत बढ़ रही है । देश में उत्पन्न होने वाली बिजली का 30.5 फ़ीसद भूमिगत जल को खींचने में ख़र्च होता है ।

भूमिगत जल समस्या से निबटने के लिए केन्द्र सरकार व राज्यों के अपने-अपने क़ानून हैं । भूमिगत जल के स्तर को बनाये रखने की दिशा में दर्जन भर सरकारी संगठन कार्यरत हैं, लेकिन उनका काम महज़ आंकड़े तैयार करने, कुछ उपाय सुझाने और चिंता जताने से आगे नहीं बढ़ सका है । देश में वर्षा के कुल जलों का 10 फ़ीसदी जल भी संचित नहीं हो पाता है । अगर वर्षा जलों का सही मायने में उपयोग हो तब न केवल पेयजल की समस्या से बचा जा सकता है बल्कि सिंचाई की समस्या और गिरते जल स्तर को भी संभाला जा सकता है ।

जल संसाधन मंत्रालय ने स्वच्छ जल का अधिकार विधेयक लाने का प्रस्ताव रखा है । यह विधेयक सूचना का अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार की तरह होगा । इसके प्रावधानों में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक को स्वच्छ जल पीने का अधिकार होना चाहिए और उसे रोका नहीं जा सकता । इस संबंध में कहा गया है कि देश की एक तिहाई जनसंख्या को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता इसलिए वे दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं । दूषित पानी पीने के कारण देश में हज़ारों लोग बीमारी का शिकार होते हैं । अनेक लोग कई प्रकार के गंभीर व जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाते हैं ।

वर्ल्ड बैंक के एक आकलन के अनुसार भारत में दूषित पानी पीने वालों की संख्या 21 फ़ीसद है, जबकि 1990 से ही भारत में इस मद में क़रीब एक लाख 48 हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ख़र्च किये जा रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैंडपंप व कुएं के पानी पर निर्भर हैं जो कि दूषित हो चुके हैं । राजस्थान के जयपुर में शुद्ध जल की उपलब्धता काफ़ी कम है । एक रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में पीने के पानी में विभिन्न केमिकल्स और बैक्टीरिया पाये गये । यही पानी लोगों के घरों में 'स्वच्छ जल' के नाम पर सप्लाई हो रहा है ।

आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सरकार पानी जैसी अहम ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकी । वहीं विदेशी कंपनियों के बोतल बंद पानी देश के कोने-कोने में बिक रहे हैं । यह सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है । वहीं पेप्सी, कोका कोला, बिस्लेरी आदि कंपनियां ज़मीन से लाखों लीटर पानी का दोहन करके इसी देश को बेच रही हैं । कई औद्योगिक ईकाई अपना ज़हरीला पानी भूगर्भ में उडेल देते हैं । इससे

भी भूगर्भ के जल स्रोत दूषित होते जा रहे हैं । उद्योगों ने नदियों को तो नाला बना दिया वे समुद्र के पानी को भी ज़हरीला बना रहे हैं । एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नदी नालों में बहने वाले पानी में नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट जैसे कैमिकल की मात्रा इतनी बढ़ गयी है कि इसके संपर्क में रहने पर कई जानलेवा बीमारी हो रही है, इससे त्वचा कैंसर भी हो सकता है ।

केन्द्रीय जल आयोग और जल विज्ञान संस्थान के संयुक्त संयोजन तथा जल संसाधन मंत्रालय की निगरानी में वायु परिवर्तन पर जल संसाधनों के पड़ने वाले प्रभाव पर एक रिपोर्ट तैयार की गयी है । इसमें जलवायु परिवर्तन, हिमखंडों के पिघलने, नदियों की स्थिति, भूजल में उनके योगदानों, देश में पानी की ज़रूरतों आदि का अध्ययन किया गया है । रिपोर्ट में वर्तमान जल संसाधनों और भविष्य की मांग और आपूर्ति आदि में बदलाव, जलीय घटनाओं और ख़तरों की पहचान आदि पर चर्चा की गयी है । जल संचय, स्वच्छ जल की उपलब्धता और गिरते जल स्तर पर काम करने के लिए पहले से क़ानून एवं संगठन मौजूद हैं लेकिन उनका सही उपयोग न होने से देश में जल संकट की समस्या खड़ी होती है ।

प्रसिद्ध कवि रहीम ने कहा है कि 'रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सूना' काग़ज़ों में सुन्दर योजनाएं होने के बाद भी उन पर अमल नहीं हो रहा है । समस्या यही है । क़ानून तो बहुत हैं पर व्यवहार में थोड़े हैं ।, काग़ज़ी घोड़ा दौड़ाने से समस्याएं हल नहीं होतीं । पानी के संरक्षण, उपयोग, गिरते जल स्तर, उसकी शुद्धता की दिशा में काम तो होना ही चाहिए । साथ ही पानी की बरबादी पर भी रोक लगनी चाहिए ?

दर्पण



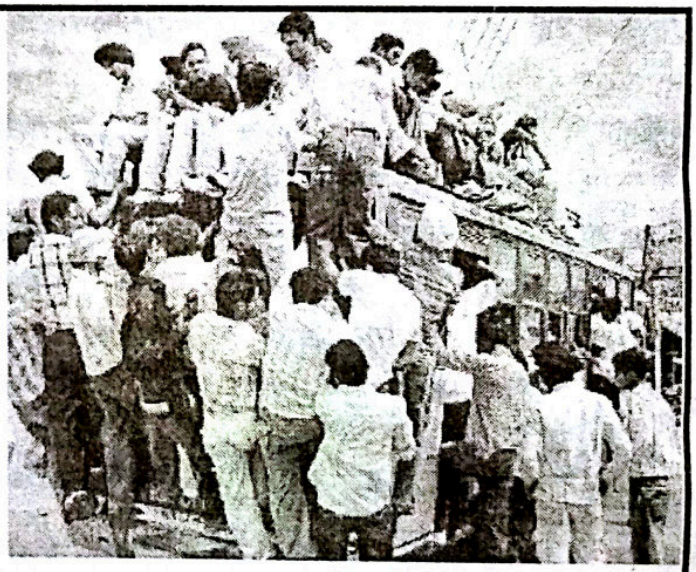

ख़तरों भरे सफ़र का सामान्य दृश्य

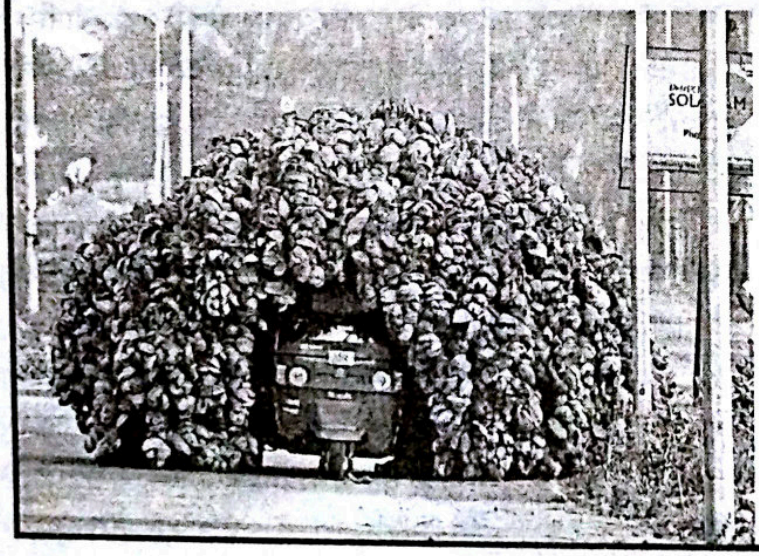

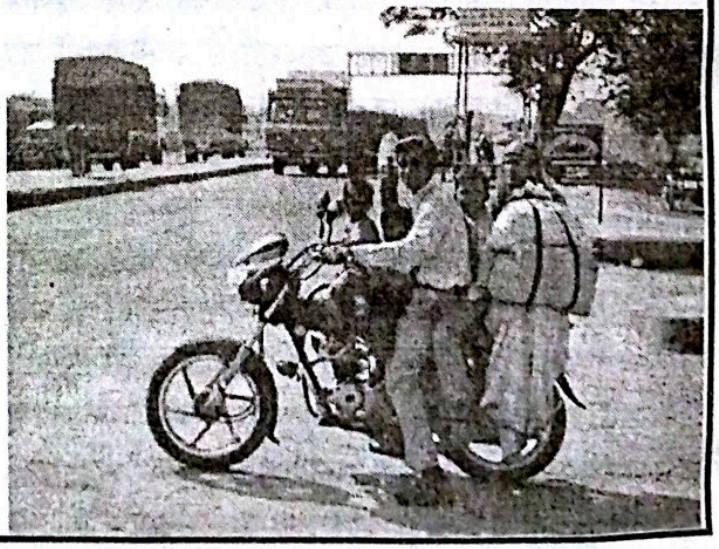

क्या हम एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र हैं ?

❑ ईश्वरचन्द्र भटनागर
(एडवोकेट एवं पूर्व विधायक)

हमारे लोकतंत्रीय भारत देश का गौरवशाली संविधान इन शब्दों के साथ आरंभ होता है–''हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने को दृढ़ संकल्पित हैं ।'' इसी भावना को व्यक्त करते हुए संविधान के अनुच्छेद 25 से लगाकर 30 तक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एवं अंत:करण की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आदि निहित है । इस प्रकार, हमारा यह भारत राज्य एक धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है । हमारे देश का कोई 'घोषित धर्म' नहीं है और हमारा शासन 'पंथ-निरपेक्ष सिद्धांत' पर आधारित है, जहां धर्म समान है तथा सबको अपना-अपना धर्म मानने व पालन करने की स्वतंत्रता व अधिकार है ।

पर, क्या हम सचमुच में धर्मनिरपेक्ष हैं ? आज आप किसी सरकारी कार्यालय में जाएं, आपको वहां कोई मंदिर, देवी-देवताओं के चित्र, कोई उपासना स्थल आदि अवश्य मिलेगा । नये-नये सरकारी भवन भी इसके अपवाद नहीं है । अब तो सरकारी भवनों का निर्माण भी धर्मानुसार भूमि पूजा से प्रारंभ होता है । पंचायत भवन से शासन सचिवालय तक के सभी भवन किसी न किसी देवी-देवता की मूर्ति से सज्जित है । प्राय: प्रत्येक कार्यालय के अफ़सर या बाबू अपनी टेबल के पीछे इस प्रकार के धार्मिक कलेंडर लगाते हैं । कई कार्यालयों में प्रेत बाधा आदि से मुक्त होने के लिए हवन व यज्ञ कराये जाते हैं । इन सब पर पैसा किस मद से ख़र्च होता है, यह शोध का विषय है । पुलिस स्टेशन, जेल, न्यायालय, अस्पताल, बैंक आदि भवनों का भी यही हाल है । वहीं यह भी निर्विवाद है कि इन सरकारी भवनों में अधिकांशत: बहुसंख्यकों के ही धर्म संबंधी चित्र, मूर्तियां आदि लगायी जाती है ।

पर, क्या हम सचमुच में धर्मनिरपेक्ष हैं ? आज आप किसी सरकारी कार्यालय में जाएं, आपको वहां कोई मंदिर, देवी-देवताओं के चित्र, कोई उपासना स्थल आदि अवश्य मिलेगा । नये-नये सरकारी भवन भी इसके अपवाद नहीं है । अब तो सरकारी भवनों का निर्माण भी धर्मानुसार भूमि पूजा से प्रारंभ होता है । पंचायत भवन से शासन सचिवालय तक के सभी भवन किसी न किसी देवी-देवता की मूर्ति से सज्जित है । प्राय: प्रत्येक कार्यालय के अफ़सर या बाबू अपनी टेबल के पीछे इस प्रकार के धार्मिक कलेंडर लगाते हैं ।

इसलिए, यक्ष प्रश्न यह है कि–क्या हमारा पंथ निरपेक्ष होने का दावा खोखला है ? क्या राज्य, राष्ट्र व सरकारें संविधान के इन वचनों व प्रतिज्ञा को भूल चुके हैं ? विचारणीय है कि–किसी भी दल की सरकार ने इस बारे में कोई निर्णयात्मक क़दम नहीं उठाये हैं, वहीं आज आज़ादी के 66 वर्ष बाद जिस तरह से हमारे लोकतंत्रीय देश का 'समाजवादी देश' होने का दावा दम तोड़ चुका है और वैश्वीकरण की आड़ में हम अमेरिका की गुलामी स्वीकार करते जा रहे हैं, उसी प्रकार से विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, विश्वासों व आस्थाओं से युक्त हमारी बहुलतावादी गंगा-जमुनी संस्कृति, इन धार्मिक आडंबरवाद व अंधविश्वासों के कुचक्र में फंसकर धर्मनिरपेक्षता की बलि दे रही है । क्या कालांतर में यह प्रवृत्ति देश को खंडित नहीं कर देगी ? मेरी जानकारी में इस महत्वपूर्ण व गंभीरतम विषय पर किसी भी सरकार व दल द्वारा इस पर चिंतन-मनन नहीं किया जा रहा है, जो हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत देश का दुर्भाग्य ही है ।

हमारे धर्मनिरपेक्ष देश के ही उ०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा 'बाबरी मस्जिद' विवाद मामले पर जो निर्णय दिया गया था, उसमें भी आस्था, विश्वास व बहुसंख्यकों की धार्मिक मान्यता को आधार बनाया गया है। इसी प्रकार, गुजरात उच्च न्यायालय ने भी इस तरह के भूमि पूजन के विरुद्ध राजेश सोलंकी द्वारा दायर की गयी याचिका को ख़ारिज कर दिया और माननीय न्यायाधीशों ने शासकीय भूमि पूजन को हिन्दू धर्म के मूल्यों के अनुरूप माना; जो स्पष्ट रूप से हमारे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर घातक प्रहार है। जबकि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य के नागरिक हैं इसलिए सरकारी कार्य कलापों में धर्म-विशेष के रीति-रिवाजों को थोपना तर्कसंगत नहीं है और ऐसा करना संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है।

हमारी न्यायपालिका को 'संविधान' की रक्षक कहा गया है, लेकिन न्यायाधीशों द्वारा इस तरह के मामलों में सुनाये जाने वाले फ़ैसलों में हमारी धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर आस्था के नाम पर मात्र बहुसंख्यकों की ओर झुकना हमारे देश के लिए शुभ-संकेत नहीं है। हमारा संविधान भी सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखने की अपेक्षा राज्य से करता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस०आर० बोम्बई के बहुचर्चित प्रकरण में हमारे राज्य की संवैधानिक आधारित स्वीकृत की गयी धर्मनिरपेक्षता को निम्न प्रकार परिभाषित किया है-(1) राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। (2) राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाए रखेगा। (3) राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा व राज्य की कोई धार्मिक पहचान नहीं होगी। यह निर्णय 1994(3) सुप्रीम कोर्ट कैसेज में पृष्ठ संख्या 1 पर उद्धरित है जिसमें उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों ने विद्वतापूर्ण एवं तार्किक निर्णय दिये हैं।

किंतु, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये हुए इन सिद्धांतों की खुली अवहेलना हो रही है और उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों में भी इन सिद्धांतों की अनदेखी हो रही है। इसलिए, राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों में वैज्ञानिक सोच की प्रवृति विकसित करे। कर्मकांडों व आडंबरों से दूर तर्कशक्ति, वैज्ञानिक विवेचन द्वारा अंधविश्वासों व रूढ़ियों का हनन करें। यही संविधान के अनुच्छेद 51ए के उपखंड (ज) का भी संदेश है।

इसलिए देश के राजनेताओं से हमारा यही आग्रह है कि वे अपनी धार्मिक यात्राएं, पूजा-पाठ आदि धार्मिक कार्यक्रमों को अपने निज जीवन तक ही सीमित रखें व राज्य के साधनों का दुरुपयोग कर विभिन्न संतों, बाबाओं व धार्मिक स्थलों को अपने राजनैतिक लाभ प्राप्ति का हथियार न बनाएं। वे देश के संविधान की मूल भावना को समझते हुए उसका मान-सम्मान करें तथा जिन आदर्शों से प्रेरित होकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस संविधान की रचना की, उसके मूल तत्वों को नष्ट करने का प्रयास न करें-यही देश हित में है।

आशा है कि समय रहते दुराग्रहों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर हमारी न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका धर्मनिरपेक्षता व पंथ-निरपेक्षता की भावना को आत्मसात कर संवैधानिक मूल्यों से प्रतिबद्ध रहेंगे।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(Prof Z.H.Khan) Chairman

(Prof M. B. Zaman) Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

दुर्व्यसनों तथा नकारात्मक प्रवृतियों पर विजय

❖ श्री कृष्ण गोयल
(मयूर विहार, नयी दिल्ली)

अहंकार मूलक अज्ञान समस्त दुर्व्यसनों तथा कुप्रवृतियों का मुख्य कारण है । वर्तमान जीवन शैली तथा परिस्थितियां ईंधन में तेल का काम करती है । एक समय था जब लोग सीधे-साधे थे, जीवनशैली साधारण थी, शारीरिक कर्म की प्रधानता थी । आपस में प्रेम भाईचारा था, बड़े बुजुर्गों का सम्मान था । बहुत कम लोग दुर्व्यसनों में लिप्त होते थे तथा वे अपने आपको दोषी महसूस करते थे । वैज्ञानिक प्रगति के परिणामस्वरूप मनुष्य मनोप्रधान प्राणी बन गया है, उसकी बुद्धि तथा तर्क का विकास हुआ है, परंतु भावनाओं तथा प्रेम का ह्रास हुआ है । शारीरिक श्रम रहा ही नहीं, सुविधाएं बढ़ गयी है । जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया है । जीवन में दौड़-धूप, तनाव, चिंता, उन्नति की होड़ आज के मनुष्य के स्वभाव के अभिन्न अंग हो गये हैं ।

स्वार्थ की प्रधानता हो गयी है तथा धन ही सब कुछ बन गया है । इस से मनुष्य के शरीर, भावनाओं, मन, बुद्धि तथा आत्मा के सामंजस्य में असंतुलन हो गया है । मनुष्य अपने आपको कुछ क्षणों के लिए भूलना तथा खोना चाहता है । उसके लिए घातक नशों तथा दुर्व्यसनों का सहारा लेता है, जिनके भयंकर परिणाम जीवन को अस्त-व्यस्त कर देते हैं । देखा देखी दुर्व्यसनों की श्रृंख्ला बढ़ती जा रही है । आजकल नशीले पदार्थों का प्रयोग सभ्यता का प्रतीक बन गया है ! कुछ दुर्व्यसनों तथा कुप्रवृतियों से परिचित होने का प्रयास किया जा रहा है ।

नशीले पदार्थों का सेवन

सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, ज़र्दा, गुटखा, ड्रग्स, अफ़ीम, गांज़ा, चरस, भांग, मदिरा सेवन आदि प्रमुख नशे हैं । पैग़म्बरों, संतों, ऋषियों, मुनियों ने इनका निषेध किया है । इनका मनुष्य के संपूर्ण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । जीवन नरक बन जाता है । वैज्ञानिकों तथा शरीरशास्त्रियों ने भी प्रयोग करके इनके घातक परिणामों पर प्रकाश डाला है तथा चेतावनी दी है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें भी इस दिशा में कुछ मात्रा में क्रियाशील है । कुछ सामाजिक संगठन तथा विशिष्ट जन भी प्रयत्नशील हैं । प्रयास सराहनीय हैं, परन्तु पर्याप्त नहीं हैं, बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता है । सरकार को इन नशीले पदार्थों के उत्पादक उद्योगपतियों से जो राशि कर के रूप में प्राप्त होती है, उससे कई गुना ज़्यादा राशि ग्रस्त रोगियों के उपचार पर व्यय हो जाती है । राजनैतिक संकल्प एवं इच्छा की कमी है ।

अधिकतर राजनेता स्वयं इन दुर्व्यसनों के शिकार हैं तथा वोट प्राप्त करने के लिए नशों के सेवन की सहायता लेते हैं । मादक पदार्थों के सेवन से मानवता की अनगिनत पक्षों में हानि होती है । इस रोग का आपद्स्थिति की भांति उपचार करने की अति शीघ्र आवश्यकता है । इस दिशा में ईशभक्ति और अच्छे लोगों की संगति काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है ।

हमारे एक अधिकारी थे जो प्रतिदिन मदिरापान करते थे तथा श्रृंखलाबद्ध धूम्रपान करते थे, उनका हमारे कार्यालय से अंयत्र स्थानांतरण हो गया । कुछ वर्षों के उपरांत हमें मिलने आये । हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वे धूम्रपान नहीं कर रहे थे । पूछने पर पता लगा कि एक संत की प्रेरणा तथा प्रभाव से उनके समस्त व्यसन छूट गये । उनके व्यक्तित्व में सकारात्मक रूपांतरण आ गया है ।

लेखक ने स्वयं कई लोगों को संकल्प शक्ति तथा ध्यान द्वारा नशों से मुक्त किया है । सरकार के नशा मुक्ति केन्द्रों में भी औषधियों के उपचार के साथ-साथ जाप ध्यान प्रार्थना शामिल कर कर दी जाए, तो परिणाम शीघ्र एवं सुदृढ़ आएंगे, यह अनुभूत विधि है । इससे सभी का सर्वांगीण कल्याण होगा । हमारा सरकार से भी विनम्र अनुरोध है कि नशीले पदार्थों के उत्पादन पर भी धीरे-धीरे पाबन्दी लगाये ।

For Information On
City Shops, Roads–Products, Restaurants, Magazine, Schools And much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

हमारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें

इस्लाम एक सामान्य परिचय	80.00	शैख़ अली तंतावी	90.00	اسلام کا عام فہم تعارف
इस्लाम एक स्वयंसिद्ध.....	25.00	राजेन्द्र नारायण लाल	25.00	اسلام ایک خدائی نظام حیات
इस्लामी सभ्यता	05.00	मुन्शी प्रेम चंद	05.00	اسلامی تہذیب
इंसानी भाईचारा और इस्लाम	05.00	मौलाना फ़ारूक़ ख़ाँ	05.00	انسانی اخوت اور اسلام
प्यारे नबी की पाक ज़िन्दगी	25.00	ऐजाज़ुल हक़ क़ुद्दूसी	25.00	پیارے نبی کی پاک زندگی
इतिहास के साथ यह अन्याय!	07.00	बी॰ एन॰ पाण्डे	05.00	تاریخ پر یہ ستم !
मेरे दावती तजुर्बात (प्रथम)	25.00	नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	20.00	میرے دعوتی تجربات (اول)
ग़लत फ़हमियों का निवारण	25.00	डॉ॰ ज़ाकिर नाईक	25.00	غلط فہمیوں کا ازالہ !
क़ुरआन और हम मुसलमान	15.00	नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00	قرآن اور ہم مسلمان
क़ुरआन का पैग़ाम	10.00	ख़ुर्रम मुराद	10.00	قرآن کا پیغام
क़ुरआन पर अनुचित आक्षेप	15.00	नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00	قرآن مجید پر اعتراضات کی حقیقت
हमें ख़ुदा कैसे मिला?	100.00	अब्दुल ग़नी फ़ारूक़	120.00	ہمیں خدا کیسے ملا؟
इस्लाम आतंक या आदर्श?	40.00	स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य	40.00	اسلام دہشت گردی یا مثالی دین؟
इस्लाम और इनसान (1-6)	84.00	डॉ सैयद शाहिद अली	15.00	اسلام اور انسان
दलित समस्या जड़ में कौन?	120.00	इन्तज़ार नईम	140.00	دلت مسئلہ جڑ میں کون؟
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) और भारतीय धर्मग्रन्थ	18.00	डॉ॰ एम॰ ए॰ श्रीवास्तव	18.00	حضرت محمد ﷺ اور ہندوستانی مذہبی کتابیں

इस्लामी लिट्रेचर, दावती किताबों और मर्कज़ी मक्तबा की किताबों और हमारी पुस्तक सूची के लिए सम्पर्क करें। दावती काम करने वालों के लिए विशेष छूट

MADHUR SANDESH SANGAM

E-20, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025

e-mail: madhursandeshsangam@yahoo.co.in 09212117559, 011-26953327 :फ़ोन

ज़रा सुन लीजिए अजन्मी बेटियों की पुकार

● बाबूलाल नागा

हाल में राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रूण लिंग परीक्षण मामलों की जांच और फ़ैसलों में देरी पर कड़ा रुख़ अपनाते हुए ऐसे मामलों में दो माह में जांच पूरी करने के निर्देश दिये हैं। सभी ज़िला व सेशन न्यायाधीश को कहा है कि वे लंबित मामलों में तीन माह में आरोप तय करें। किसी मामले में आगे की तारीख़ है तो सुनवाई पहले की जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दोषी डॉक्टरों व जांच केन्द्रों पर कार्रवाई करने को कहा है। राज्य सरकार और प्रशासन से लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या के लंबित प्रकरणों की सूची भी मांगी है।

हाईकोर्ट ने यह निर्देश देकर उन अजन्मी कन्याओं की चीत्कार को सुना है जो कोख में ही मार दी जाती है। कन्याओं की हत्या में अव्वल होने का पाप हमारा प्रदेश सदियों से ढो रहा है। इस कलंक को मिटाने के प्रयास भी होते हैं, फिर भी कोई न कोई गहरी कालिख पोत देता है। पिछले दिनों जयपुर में स्वास्थ्य विभाग के पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ सेल ने स्टिंग ऑपरेशन कर एक महिला डॉक्टर को लिंग परीक्षण की जांच करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यह डॉक्टर चंद रुपयों की ख़ातिर लिंग परीक्षण की जांच करने को तैयार हो गयी। 27 मार्च को जयपुर के शास्त्री नगर इलाक़े में कचरा पात्र में एक नवजात बच्ची का शव मिला। बच्ची का जन्म एक दिन पहले हुआ था। गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या करके शव कचरा पात्र में फेंक दिया गया। अगले ही दिन जयपुर के विद्याधरनगर इलाक़े में एक नवजात कन्या का शव कचने के ढेर में मिला। 31 मार्च को सिंधी कैंप बस स्टेंड के पास क़रीब 5 महीने का भ्रूण मिला। चुरू के बनियाला गांव की एक महिला अपनी तीन मासूम बेटियों को कुंड में फेंककर इसलिए कीटनाशक दवा खा ली क्योंकि वह बेटा नहीं होने के कारण तनाव में थी।

राजधानी में तो पिछले 3 साल में 89 बालक-बालिकाओं का कोख में ही क़त्ल कर दिया गया। इतना ही नहीं, मृत भ्रूण या नवजात को सड़क किनारे या कचरे में पटक दिया गया।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने को बने तमाम क़ानूनों को ठेंगा दिखाकर आये दिन बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। कड़े क़ानूनों और तमाम सरकारी कोशिशों के बाद भी चोरी छिपे भ्रूण परीक्षण होते हैं। कोख में पल रहे बच्चे के बारे में जब पता चलता है कि होने वाली संतान बेटी है, तो बेटियों को कोख में क़त्ल करने में नहीं चूकते। बेटी पैदा न होने का वरदान आज भी अनेक घरों में मांगा जाता है। पहली किलकारी तो बेटे की ही गूंजे। फिर चाहे इसके लिए कोई जतन क्यों न करना पड़े। लिंग की जांच करवाकर भावी शिशु कन्या पाये जाने पर भ्रूण हत्या करवा देना क़ानूनन अपराध है। पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ यानी प्रसव पूर्व लिंग चयन व लिंग जांच क़ानून में कन्या भ्रूण हत्या को अपराध माना गया है, लेकिन अपने ही अजन्मी कन्याओं के नाते रिश्तेदार चिकित्सकों के साथ मिलकर क़ानून को चकमा दे ही डालते हैं।

दूसरी तरफ़ तमाम शोध बताते हैं कि देश में किस तरह लड़कियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। आठ माह पूर्व पत्रिका लेंसेट ने चौंकाने वाले आंकड़े उजागर कर बताया था कि पिछले 30 सालों में एक करोड़ से भी ऊपर कन्या भ्रूण हत्या कर दी गयी।

तमाम शोध बताते हैं कि देश में किस तरह लड़कियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। आठ माह पूर्व पत्रिका लेंसेट ने चौंकाने वाले आंकड़े उजागर कर बताया था कि पिछले 30 सालों में एक करोड़ से भी ऊपर कन्या भ्रूण हत्या कर दी गयी।

ख़ास बात यह थी कि पहली लड़की है तो दूसरे बच्चे के रूप में माता-पिता लड़की की चाहत नहीं करते । रईस व पढ़े-लिखे परिवार ऐसी सोच ज़्यादा रखते हैं । समाज में सबसे धनी 20 प्रतिशत परिवारों में अगर पहली संतान लड़की हो तो दूसरी संतान के रूप में प्रति 1000 लड़कों पर लगभग 700 लड़कियां ही जन्म ले रही हैं । वर्ष 2011 के जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में हज़ार बेटों के मुक़ाबले अब कुल 883 बेटियां ही हैं । मतलब प्रदेश में हज़ार बेटों पर 117 बेटियां ग़ायब हैं । आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की मात्र 11 तहसील ही ऐसी है, जहां बेटियों की संख्या बेटों के बराबर है । यदि महिलाओं की संख्या में इसी प्रकार से कमी आती रही तो केवल 25 वर्षों के अंतराल में ही पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या एक चौथाई रह जाएंगी ।

राज्य सरकार ने घटते शिशु लिंगानुपात को देखते हुए बजट घोषणा में एक टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय ज़रूर लिया है । इसके बाद भी लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या बड़े पैमाने पर की जा रही है । लिंग जांच को रोकने के लिए बने पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ क़ानून का क्रियान्वयन धीमी गति से हो रहा है । इस दिशा में गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है ।

हाल में 27 मार्च को जयपुर में महिला जनसंगठनों ने लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या विरोधी रैली निकाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक ज्ञापन दिया है । ज्ञापन में मांग की गयी है कि सरकार का हर विभाग बेटी को बचाने के लिए कार्यक्रम बजट सहित घोषित करे । बालिका गौरव बढ़ाने वाले कार्यक्रम हर शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय स्तर पर भी आयोजित हो । बालिकाओं के लिए निरीक्षण समिति का गठन हो । यह समिति बालिका शिशु को बचाने हेतु चल रहे सभी कार्यक्रमों की निगरानी रखें । सभी अधिकारियों को ज़िम्मेदारी सौंपे ताकि चिकित्सकीय कुरीतियों पर रोकथाम लगायी जा सके ।

ज्ञापन में पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ एक्ट के क्रियान्वयन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कुछ सुझाव भी दिये गये हैं कि पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ के मुद्दे पर सभी ज़िला कलक्टरों के मंत्री स्तरीय बैठक तत्काल बुलायी जाए । क़ानून के तहत राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाए । ज़िला सलाहकार समिति में सक्रिय महिला एवं सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि का चयन किया जाए । जल्द ही उनका गठन किया जाए । अल्ट्रासाउंड मशीनों के अधिक सक्रिय ढंग से निरीक्षण किये जाने चाहिए । मामले के निस्तारण में विशेष अभियोजन की व्यवस्था की जाए । साथ ही इन अभियोजकों के प्रशिक्षण जल्द से किया जाए । दोषी चिकित्सकों के ख़िलाफ़ शिकायत राजस्थान मेडिकल काउंसिल में दर्ज कर एक तय अवधि में निपटाई जाए । उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए ।

बहरहाल, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण केवल कड़े क़ानूनों और पुलिस प्रशासन की सख़्ती से नहीं रुक सकते । इन्हें रोकने के लिए आम लोगों को भी सतर्क होना होगा । सामाजिक संगठनों को भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है । (वि॰फ़ी॰)

Prop : Abid Hussain
09413037652
09252235194

Shop : Mujahid Hussain
09214747172

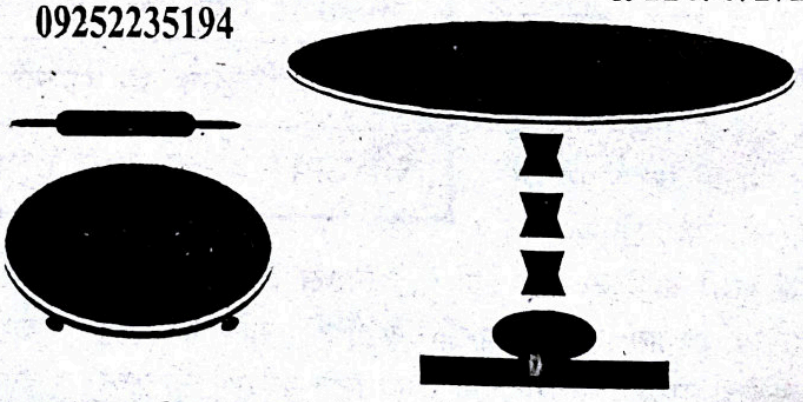

कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चकलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

भारत में वृद्धजनों की समस्याएं एवं समाधान

● वीणा

(शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,

ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा)

किसी भी समाज की जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात उसके विकास को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करता है । आमतौर पर वृद्ध उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने 60 वर्ष की आयु पूरा कर ली है । कुछ समाजशास्त्रियों ने वृद्धों को दो श्रेणियों में विभाजिज किया है युवा वृद्ध 60 से 75 वर्ष के मध्य तथा वृद्ध 75 वर्ष से अधिक । देश में इस समय वृद्ध लोगों की आबादी 7.6 करोड़ होने का अनुमान है । भारत में वृद्ध लोगों को अब वरिष्ठ नागरिक कहा जाने लगा है ।

आज भारत में वृद्धों की संख्या 7.6 करोड़ का अनुमान है । ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 ई० तक इसकी जनसंख्या 19.8 करोड़ हो जाएगी । जहां तक बूढ़ों की समस्या का संबंध है तो यह कहा जा सकता है कि बुढ़ापा खुद अपने आप में ही एक समस्या है । परिवार के सदस्यों द्वारा वृद्धों की उचित देखभाल नहीं की जाती है । संचार माध्यमों, अनुसंधान तथा स्वयं वृद्धजनों में ऐसी सोच पायी जाती है कि बड़े-बूढ़े अपने परिवारों से कटने लगे हैं । परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा वृद्धजनों की अन्य समस्याओं को कई गुना बढ़ा देती है । अपने सभी होते हुए भी वृद्ध अपने आपको लाचार एवं बेबस समझने लगते हैं । जो वृद्ध महिलाएं घर के कामकाज में अपने आपको थोड़ा बहुत व्यस्त रखती है उनकी तो परिजन देख-रेख करते हैं, परन्तु वृद्ध पुरुषों की परिवार में कोई विशेष भूमिका न होने के कारण उनकी उपेक्षा में काफ़ी वृद्धि हुई है ।

इस प्रकार वृद्धों की देखरेख उनके द्वारा परिवार को दिये जाने वाले योगदान पर निर्भर करने लगी है । अनेक वृद्ध घर के बाहर के कामों में अपने परिवार की सहायता करते हैं । यह सहायता दूध व सब्ज़ियां लाने घर का अन्य सामान लाने, बिजली व पानी इत्यादि के बिल जमा करने या अन्य कार्यों के रूप में होती है । इन सबके बावजूद वृद्धों को परिवार में वह सम्मान नहीं मिलता है जिसके वे हक़दार होते हैं ।

जैसे-जैसे भारत में परिवारों का विघटन होता जा रहा है, वृद्धों की पारिवारिक समस्याएं बढ़ती जा रही है । पुरानी परंपराएं एवं सम्मान समाप्त हो रहे हैं, नयी पीढ़ी के लोग अपने परिवार के बूढ़े सदस्यों को सम्मान नहीं देते । देश की जनसंख्या के स्वरूप तथा संस्कृति में होने वाले भारी परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप वृद्धजनों को अपने परिजनों से वह सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिसकी वे उनसे आशा करते हैं ।

आज अनेक ऐसे वृद्ध हैं जो अनाथाश्रमों जैसी वृद्ध संस्थाओं में रह रहे हैं तथा संतान होते हुए भी अपने आपको बिना संतान कहने हेतु विवश होते जा रहे हैं । उनके अपने बच्चे उसी शहर में होते हुए भी न तो उनको मिलने आते हैं और न ही उनके बारे में किसी प्रकार की चिंता करते हैं । ऐसे वृद्धजन वृद्ध संस्थाओं में जो खाने को मिल जाता है उसी से अपनी संतुष्टि कर लेते हैं । ऐसे अनेक वृद्धों में इस प्रकार की भावना विकसित होने लगती है कि संतान के होते हुए भी वे बिना संतान है ।

आज अनेक ऐसे वृद्ध हैं जो अनाथाश्रमों जैसी वृद्ध संस्थाओं में रह रहे हैं तथा संतान होते हुए भी अपने आपको बिना संतान कहने हेतु विवश होते जा रहे हैं । उनके अपने बच्चे उसी शहर में होते हुए भी न तो उनको मिलने आते हैं और न ही उनके बारे में किसी प्रकार की चिंता करते हैं । ऐसे वृद्धजन वृद्ध संस्थाओं में जो खाने को मिल जाता है उसी से अपनी संतुष्टि कर लेते हैं । ऐसे अनेक वृद्धों में इस प्रकार की भावना विकसित होने लगती है कि संतान के होते हुए भी वे बिना संतान है ।

इसके अतिरिक्त बूढ़ों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं

है जैसे–आंखों की रोशनी कम हो जाना, घुटनों में दर्द होना, स्वाद और सूंघने की चेतना कम हो जाना तथा सुनने की शक्ति घट जाना ऐसे ही कुछ सामान्य रोग हैं । इसके साथ ही साथ वृद्धों की आर्थिक समस्याएं भी हैं । भारत में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्ध निर्धनता रेखा के नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं । वृद्धों में विधवाओं की संख्या 55 प्रतिशत है । ऐसा माना जाता है कि वृद्धों की आज सबसे प्रमुख समस्या यह है कि आर्थिक साधनों के अभाव में वे जिएं तो कैसे जिएं । सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामंजस्य की समस्या, अकेलेपन की समस्या, सामाजिक असुरक्षा की समस्या एवं मानसिक असुरक्षा की समस्या इत्यादि है ।

परिवार के विघटन ने वृद्धों में मानसिक असुरक्षा की भावना को भी विकसित कर दिया है । वृद्धजनों में अकेलेपन एवं पारिवारिक देखभाल के अभाव में डिप्रेशन होना एक सामान्य बात हो गयी है । इस डिप्रेशन के कारण वे अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं । पहले परिवार ही वृद्धजनों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करता था, परन्तु अब इसके विघटन के परिणामस्वरूप कोई ऐसा विकल्प उनके सामने नहीं है जो उन्हें संयुक्त परिवार जैसी मानसिक सुरक्षा प्रदान कर सके । अभी हाल ही में हुए अनेक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले वृद्धजनों में अकेलेपन एवं मानसिक असुरक्षा का एहसास एकाकी परिवार में रह रहे वृद्धजनों के मुक़ाबले काफ़ी कम होता है ।

बढ़ते हुए अपराधों ने आर्थिक दृष्टि से संपन्न वृद्धजनों में भी असुरक्षा की भावना को विकसित कर दिया है । दिल्ली जैसे महानगर में अनेक वृद्धों की लूट के इरादे से उनके नौकरों द्वारा ही नृशंस हत्या कर दी जाती हैं । यदि वे नौकर नहीं रखते तो उन्हें खाने-पीने एवं सफ़ाई इत्यादि की दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है और यदि वे नौकर रखते हैं तो उन्हें नौकरों से अपने आपको बचाये रखने की समस्या का सामना करना पड़ता है ।

यह सच है कि इस्लाम धर्म में तथा विश्व के सभी धर्मों में यह शिक्षा दी गयी है कि बड़े-बूढ़ों की इज़्ज़त करो, एहतिराम करो, जबकि आज के नवयुवक इन शिक्षाओं को नहीं अपनाते, जिससे हमारा समाज विघटित हो रहा है, यह एक चिंता का विषय है । इस संदर्भ में बूढ़ों की समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित कुछ उपाय प्रस्तावित किये जा रहे हैं–

1. परिवार वृद्धों की सामाजिक-आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक संरक्षण प्रदान करता है । इसलिए इसके विघटन को रोका जाना चाहिए । आने वाली पीढ़ी को परिवारों के लाभों की जानकारी दी जानी चाहिए । समय के साथ-साथ परिवार में जो दोष उत्पन्न हो गये हैं उन्हें दूर करने के लिए भी उपाय किये जाने चाहिए ।

2. सामुदायिक जीवन वृद्धों को अपनी किसी समस्या का एहसास नहीं होने देता था । इसलिए सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन देने हेतु उपयुक्त उपाय किये जाएं । सामुदायिक स्तर पर वृद्धों के लिए मनोरंजन के उचित साधनों का विकास किया जाना चाहिए । हर वर्ग के वृद्धों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए ।

3. सरकार को असहाय वृद्धों हेतु वृद्ध होम स्थापित करने चाहिए जिनमें समुचित सुविधाएं उपलब्ध हों । इनका ख़र्च सरकार को स्वयं वहन करना चाहिए तथा ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को भी इस प्रकार के वृद्ध होम खोलने चाहिए । इनके संचालन हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ।

4. नयी पीढ़ी का इस प्रकार प्रशिक्षण होना चाहिए कि वे अपने वरिष्ठ जनों विशेषकर माता-पिता एवं अन्य की सेवा और सम्मान को अपना कर्तव्य समझें ।

संदर्भ स्रोत :

1. सामाजिक विघटन, मदनमोहन सक्सेना ।
2. सामाजिक अनुसंधान, गुप्ता एवं शर्मा ।
3. सामाजिक विघटन, श्री कृष्णदत्तभट्ट ।
4. व्यावहारिक समाजशास्त्र, डॉ॰ रामनाथ शर्मा ।
5. Methods of Social Research, Goode & Hatt.

साहित्य समाचार

प्रो॰ शरद नारायण खरे को हिन्दी भाषा भूषण सम्मान

मंडला (म॰प्र॰), इतिहास के प्रोफ़ेसर व एक दर्जन कृतियों के सृजनकर्ता प्रो॰ (डॉ॰) शरद नारायण खरे को उनके द्वारा की गयी समर्पित साहित्य सेवा, रचनाधर्मिता व उपलब्धियों के लिए साहित्य मंडल-श्रीनाथ द्वारा (राजस्थान) ने अपने भव्य कार्यक्रम में 'हिन्दी भाषा भूषण' के सम्मान से विभूषित किया ।

आक़िबत

❖ डॉ॰ स्वर्णकिरण

अज़ीमुद्दीन साहब लाम-क़ाफ़ से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। आजीविका के लिए उन्होंने कृषि से संबंधित कीटनाशक दवाइयों की एक दूकान खोल रखी थी। परिवार छोटा ही था–पत्नी, एक लड़का, दो लड़कियां। किसी तरह काम चल जाता था। क़िस्मत की बात, इस बार जो दवाइयां आयी, बिक नहीं सकीं और अधिकांश की एक्सपायरी डेट पार हो गयी। अज़ीमुद्दीन साहब को दुख था कि 'फोलिडोल डस्ट', 'एलड्रिन डस्ट' की भी मांग पहले जैसी नहीं हुई। कम से कम दस-पन्द्रह हज़ार का नुक़सान हो रहा है। वह चिंतित थे कि एक दिन उनके एक नज़दीकी दोस्त आये बोले–अज़ीमुद्दीन साहब, अच्छा मौक़ा आया है। ब्लॉक में एक ऑफ़िसर आये हैं, वह चढ़ावा लेकर लोगों की दूकान से 'एक्सपायरी डेट' की दवाइयां निकलवा रहे हैं। पांच हज़ार ख़र्च कीजिए तो काम बन सकता है, मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूं।

अज़ीमुद्दीन साहब बोले–पर जो किसान या दवाइयों को इस्तेमाल में ले आने वाले आदमी दवाइयां लेंगे और फ़ायदा नहीं होगा तो क्या कहेंगे। अल्लाह तआला की मर्ज़ी है, आक़िबत बिगाड़ना क्या अच्छी बात है। अज़ीमुद्दीन साहब के दोस्त अज़ीमुद्दीन साहब का जवाब सुनकर सन्न रह गया। उन्होंने मन ही मन कहा–अज़ीमुद्दीन साहब आज के ज़माने के आदमी नहीं हैं, बुद्धू है, ज़माने की लहर से लाभ उठाना नहीं चाहते हैं। नुक़सान पर आपका ध्यान नहीं है।

अज़ीमुद्दीन साहब ने दोस्त को चाय-पानी पिलाया और कहा–नुक़सान मेरा हो रहा है, आप चिंतित न हों। आपका ध्यान आक़िबत पर नहीं है। चाय-पानी के बाद अज़ीमुद्दीन साहब के दोस्त अपना-सा मुंह लेकर चले गये। शायद इस काम में उन्हें कुछ कमीशन मिलता।

अज़ीमुद्दीन साहब का ध्यान आक़िबत पर टिक गया।

अवमूल्यन

दीपक जब पुरस्कार लेने के लिए स्टेज की ओर बढ़ा तो सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शिक्षा मंत्री से पुरस्कार ग्रहण करने के बाद दीपक जैसे ही अपने स्थान पर वापस जाने के लिए मुड़ने लगा शिक्षा निर्देशक ने उसकी बांह थाम ली और शिक्षा मंत्री से मुख़ातिब होकर कहा, "सर दीपक हमारे विभाग के अत्यंत योग्य, प्रतिभाशाली और विनम्र युवा शिक्षक हैं। हमारे विभाग को दीपक पर सचमुच गर्व है।"

शिक्षा मंत्री ने दीपक की पीठ थपथपाई और पुनः हाथ मिलाया। फोटोग्राफ़रों के कैमरों के फ्लैश से वातावरण पुनः जगमगा उठा। दीपक अत्यंत सबका अभिवादन करके ख़ामोशी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। कार्यक्रम की समाप्ति पर सब लोग बाहर निकलने लगे। इसी दौरान हाल के अन्दर ही दीपक को एक पुराने सहकर्मी मिल गये। दीपक ने उनका यथोचित अभिवादन करते हुए अपना हाथ उनकी तरफ़ बढ़ाया। सहकर्मी ने अभिवादन का उत्तर देना और हाथ मिलाना तो दूर अत्यंत उपेक्षा और लापरवाही से पूछा–"अरे दीपक ! भाई तू यहां क्या कर रहा है ?

दीपक को लगा जैसे हाथ में पकड़ी हुई उसकी शील्ड धीरे-धीरे खिसकती जा रही है। उसने शील्ड पर अपनी पकड़ मज़बूत कर उसे थोड़ा छिपाते हुए इतना ही कहा कि सर बस यूं ही चला आया था कि आप जैसे महानुभावों से मुलाक़ात हो जाएगी।

सीताराम गुप्ता

पीतमपुरा, दिल्ली-110088

ग़ज़ल

दुखदायी है मूल्यों का क्षरण, क्या किया जाए,
बदलता जाता बाहरी आवरण, क्या किया जाए ?

तेज़ आंधी पेड़ों को उखाड़ने में पीछे नहीं,
चिंता का कारण है असमय में मरण, क्या किया जाए ?

समय की परतों को उखाड़ना, सबके बश की बात नहीं,
कांपते हैं बढ़ते हुए चरण, क्या किया जाए ?

विजय के क्रम में, पराजय सोच बैठना अच्छा कैसे है,
आशा और विश्वास का धूण, क्या किया जाए ?

विवेक को ताखे पर रख अंधसमर्थन कैसे ठीक है,
अवसाद का शनैःशनैः अवतरण, क्या किया जाए ?

● डॉ॰ स्वर्णकिरण

गीत

अपने ही अब क्यों अनजाने लगते हैं ?
अनजाने जाने-पहचाने लगते हैं ।

बचपन से ही साथ रहे जो सुख-दुख में,
वही लोग अब क्यों बेगाने लगते हैं ?

जिनके दुख को मैंने अपना दुख समझा,
वही लोग क्यों दुख पहुंचाने लगते हैं ?

जिनको हमने पाठ पढ़ाया साहस का,
आज वही क्यों मुझे डराने लगते हैं ?

मिली कामयाबी जिनको मेरे बल पर,
वही मुझे क्यों आज गिराने लगते हैं ?

सारे शिकवे-गिले दूर कर देखा तो,
सब अपने ही दोस्त पुराने लगते हैं ।

डॉ० त्रिलोकी सिंह
ग्रा०-हिन्दूपुर, पो०-करछना, इलाहाबाद (उ०प्र०)

दूरियां हटाने दीजिए

आदमी को आदमी के पास आने दीजिए,
प्यार के दो गीत मीठे आज गाने दीजिए ।

आदमी से आदमी के बीच कैसी दूरियां,
हैं अगर ये दूनियां इनको हटाने दीजिए ।

घिर चुके जो रात के काले भयावह धुंध में,
दीप उनके हाथ पर रख जगमगाने दीजिए ।

दाग़-धब्बे चंद जो हैं अपने दामन पर कहीं,
प्रेम के मरहम लगा उनको मिटाने दीजिए ।

फिर नहीं लौटेगा मौसम सो बिठा के पास में,
ख़ूबसूरत इक कहानी तो सुनाने दीजिए ।

हैं मुसाफ़िर हम सभी तो किसी को भी राह में,
वक़्त कोई भी सही ना छूट जाने दीजिए ।

हम मिले हैं आपसे ये कैसा इत्तिफ़ाक़ है,
इन पलों को महक बनकर बिखर जाने दीजिए ।

अभिराम सत्यज्ञ जयशील
हथुआ-841436
(बिहार)

इस्लामी पुस्तकें

आपकी अमानत आपकी सेवा में	(मौलाना कलीम सिद्दीक़ी)	₹10
मय्यित के अहकाम व मसाइल	(शाहिद हुसैन नदवी)	₹25
क़ुरआन, बाइबल और आधुनिक विज्ञान	(डॉ. ज़ाकिर नाइक)	₹50
इस्लाम और हिन्दू धर्म में समानताएँ	(डॉ. ज़ाकिर नाइक)	₹25
दुनिया के बड़े धर्मों में ईश्वर की कल्पना	(डॉ. ज़ाकिर नाइक)	₹25
पवित्र क़ुरआन और आधुनिक विज्ञान	(डॉ. ज़ाकिर नाइक)	₹35

पुस्तक विक्रेता और दावती काम करनेवालों के लिए विशेष छूट

KHALID BOOK DEPOT

Head Office: Chander Ghata, Maqbara, Kota - 6 (Raj.)
Branch Office: B-138, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, N.Delhi-25
Ph.: 0744-2381650, 08233318955 E-mail: mkkhan123456@gmail.com

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

بسم الله الرحمن الرحيم

अल्लाह के
रसूल (सल्ल०) ने बताया :
अल्लाह तआला क़ियामत के दिन
एक आदमी से कहेगा, ऐ आदम के बेटे,
मैं बीमार पड़ा था, तू मेरी इयादत को नहीं आया ।
वह कहेगा, ऐ मेरे रब, कैसे तेरी इयादत को आता
और तू तो रब्बुल आलमीन है । अल्लाह कहेगा
क्या तुझे मालूम नहीं, मेरा फ़लां बन्दा बीमार
पड़ा था पर तू उसकी इयादत को नहीं गया ।
क्या तुझे मालूम न था अगर तू उसकी इयादत
को जाता तो मुझे उसके पास पाता ।
(हदीस)

EK KHAIRKHAH
JAMSHEDPUR

Posted on 20-21 June 2012
July 2012
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.06.2012

हिन्दी मासिकों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

AL KABIR POLYTECHNIC

A Muslim Minority Unaided Institution
Recognised by SBTE, Govt. of Jharkhand
& Approved by AICTE Govt. of India

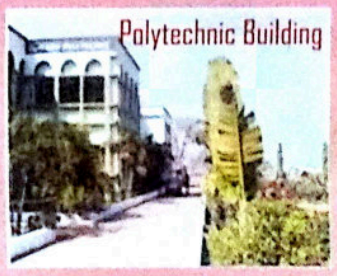

The institute in its academic program imparts three year diploma courses in engineering in following branches.

- Civil Engg.
- Electrical Engg.
- Mechanical Engg.
- Automobile Engg.
- Computer Science & Engg.
- Electronics & Communication Engg.



Laboratories and workshop

★ ★ ★

Kabir Nagar, P.O. Kopali, Via-Mango,
Jamshedpur-831012, Jharkhand
Tel. : 06591-260092, Tele Fax : 06591-260414
E-mail : principal_akpjsr@rediffmail.com
Website : www.al-kabirjsr.com